



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



भोपाल में आयोजित नवनिर्वाचित सरपंचगणों के राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान



राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में नवनिर्वाचित सरपंचगणों से संवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

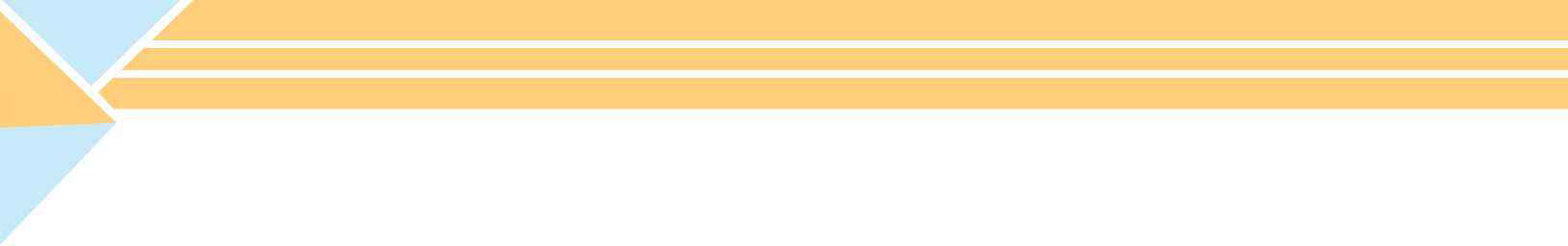


मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

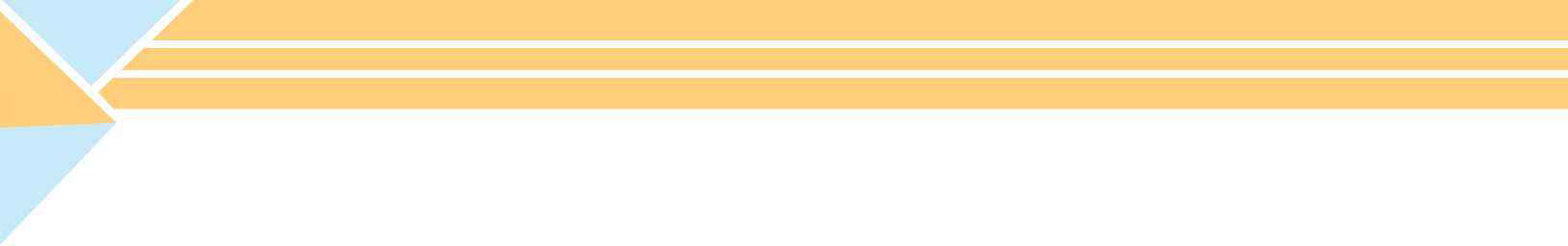
वर्ष 2022-23

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्री	— श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
राज्य मंत्री	— श्री रामखेलावन पटेल
अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	— श्री मलय श्रीवास्तव
सचिव	— श्री धनंजय सिंह भदौरिया
उप सचिव	— श्री राकेश कुशरे
संचालक, पंचायतराज संचालनालय	— श्री अमरपाल सिंह
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्	— श्रीमती सूफिया फारूकी वली
मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	— श्रीमती तन्वी सुन्दियाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	— श्री एल.एम.बेलवाल
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	— श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	— श्री केदार सिंह
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	— श्री केदार सिंह
राज्य समन्वयक, मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	— श्री धनंजय सिंह भदौरिया
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना	— श्री केदार सिंह
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	— श्री केदार सिंह
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— श्री हरीसिंह झणिया
संचालक, एम.जी.एस.आई.आर.डी.	— श्री संजय सराफ



अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायत

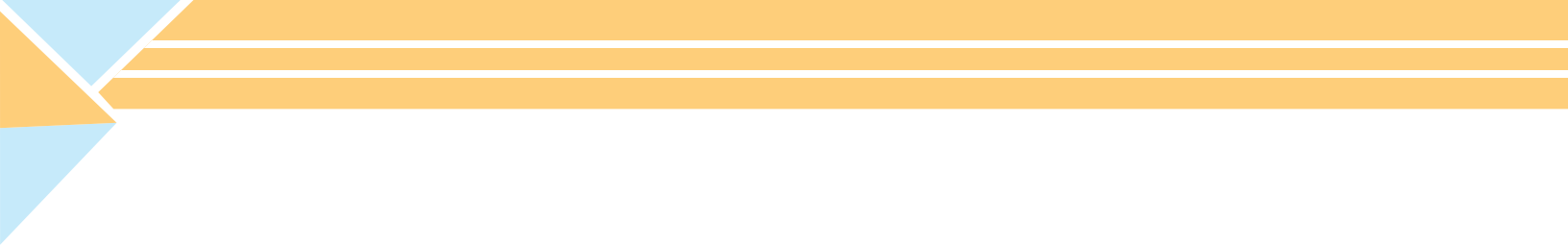
क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्थापना अनुभाग	09
2.	पंचायत अनुभाग	11
3.	निर्माण	12
4.	15वां वित्त आयोग/5वां वित्त आयोग	12
5.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	14
6.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)	21
07.	म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (PESA)	22
08.	बजट	25

खण्ड-2 ग्रामीण विकास

1.	विभागीय संरचना	28
2.	विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण	29
3.	बजट	30

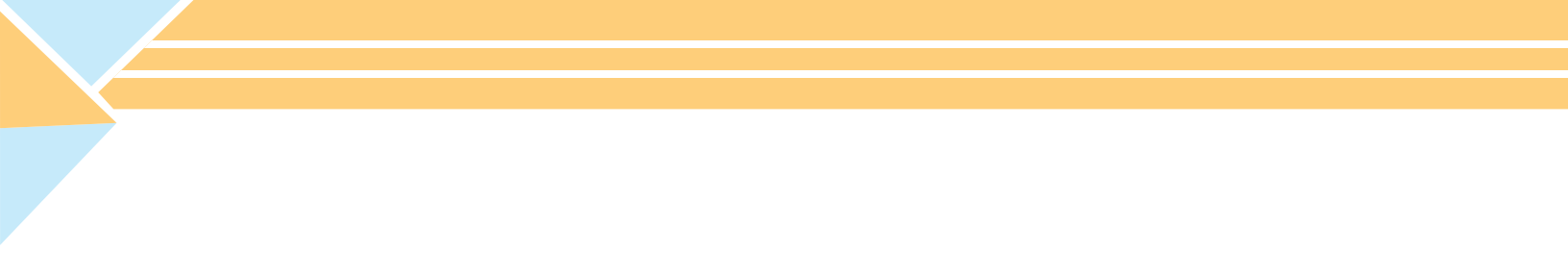
योजनाएं/अधीनस्थ संगठन

4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	35
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (MGNREGS-MP)	38
6.	सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	52
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	54
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	60
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G)	67
10.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	71
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	78
12.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PMPSN)	80
13.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (RURBAN)	88
14.	भोपाल हाट	91
15.	संस्थान :	
	● महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान (MGSIRD & Panchayatraj)	93
	● मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	100



खण्ड एक पंचायत

पृष्ठ क्रमांक 09 से 26 तक

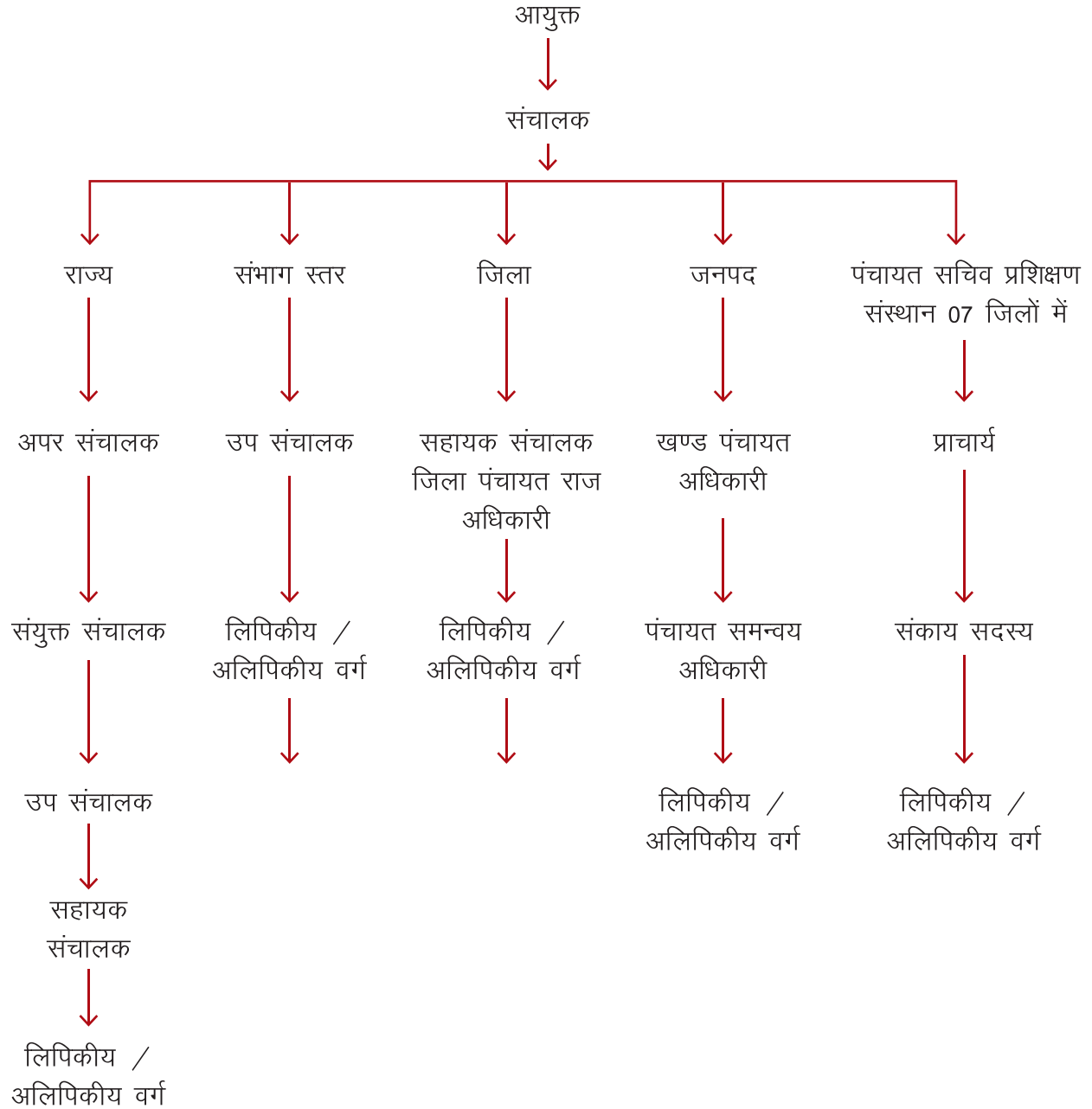


पंचायत राज संचालनालय

1. स्थापना अनुभाग —

1. **संरचना** — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** — भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में पंचायत राज संस्थाओं के पंचम सामान्य निर्वाचन शांति पूर्ण ढंग से नियत अवधि में सम्पन्न कराये गये। जिसमें प्रदेश की 52 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 23012 ग्राम पंचायतों में 395564 पदाधिकारी निर्वाचित हुए।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** — संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।
4. **संचालनालय के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं का विवरण** — प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी, 06 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, नौगांव, ग्वालियर एवं सिवनी) तथा 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान (शिवपुरी, नौगांव, मुलताई, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा) संचालित हैं।
5. **दायित्व** — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :—
 - त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 - ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 - ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 - पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 - पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।

पंचायत राज संचालनालय की संरचना



पंचायत अनुभाग

1. योजना का नाम— पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना—

भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदृढ़ करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पुरस्कृत करता है। मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए वर्ष 2022 में प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं निम्नानुसार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है —

1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

1.1 जिला पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 50.00 लाख)

- (i) जिला पंचायत भोपाल
- (ii) जिला पंचायत नरसिंहपुर

1.2 जनपद पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 25.00 लाख)

- (i) जनपद पंचायत राहतगढ़ जिला सागर
- (ii) जनपद पंचायत बिजावर जिला छतरपुर

1.3 ग्राम पंचायत स्तर (जनसंख्या के अनुसार रुपये 05.00 लाख से 15.00 लाख तक पुरस्कार राशि)

- (i) ग्राम पंचायत पवार चौहान जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी
- (ii) ग्राम पंचायत जेतापुरकला जनपद पंचायत बलडी जिला खण्डवा
- (iii) ग्राम पंचायत धनवाडा जनपद पंचायत खिरकिया जिला हरदा
- (iv) ग्राम पंचायत बिल्लोद माल जनपद पंचायत बलडी जिला खण्डवा
- (v) ग्राम पंचायत धेडिया जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन
- (vi) ग्राम पंचायत सिहोदा जनपद पंचायत शाहपुरा जिला जबलपुर
- (vii) ग्राम पंचायत गवली पलिसिया जनपद पंचायत महु जिला इंदौर
- (viii) ग्राम पंचायत केशरपुरा जनपद पंचायत जावद जिला नीमच
- (ix) ग्राम पंचायत हडली जनपद पंचायत मालथोन जिला सागर
- (x) ग्राम पंचायत भुलाया जनपद पंचायत राघोगढ़ जिला गुना
- (xi) ग्राम पंचायत सनवादा जनपद पंचायत गुना जिला गुना

2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

2.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 10.00 लाख)

- (i) ग्राम पंचायत गंगाखेडी जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबुआ

3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

3.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 05.00 लाख)

(i) ग्राम पंचायत जोरासी जनपद पंचायत डबरा जिला ग्वालियर

4. बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

4.1 ग्राम पंचायत स्तर (पुरस्कार राशि रुपये 05.00 लाख)

(i) ग्राम पंचायत पंवार चौहान जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी

निर्माण शाखा

संचालनालय की निर्माण शाखा द्वारा योजना क्रमांक 4610 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद की राशि से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

1. माह अप्रैल 2022 से माह जनवरी 2023 की उत्कृष्ट उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख—

पंचायत राज संचालनालय द्वारा माह अप्रैल 2022 से माह जनवरी 2023 तक 615 शाला भवनों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, 18 ग्राम पंचायत भवन, 3 सामुदायिक भवन एवं 4 अन्य निर्माण कार्य लागत राशि रुपये 64.87 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं।

15वां वित्त आयोग अनुदान

प्रस्तावना/परिचय :-

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास कार्य योजना बनाकर निम्नानुसार राशि व्यय की जा रही है :-

- न्यूनतम 60% टाईड ग्रांट दो बराबर भागों में स्वच्छता एवं जल संबंधी कार्यों पर
- शेष 40% अनटाईड ग्रांट राशि अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों पर

बजट प्रावधान :-

- 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 2944.00 करोड़ का आवंटन स्वीकृत है जो समस्त पंचायतों को जारी की जा चुकी है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि 3050.00 प्रावधानित है।

प्रगति —

- पंचायतों द्वारा ग्राम विकास योजना 2023-24 तैयार की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक 4134.58 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

ऑनलाइन क्रियान्वयन :-

पंचायतों द्वारा योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं भारत सरकार, वित्त विभाग के इंटीग्रेटेड पोर्टल ई-ग्राम स्वराज, पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से DSC द्वारा किये जा रहे हैं।

5वां वित्त आयोग (7668)

प्रस्तावना/परिचय :-

- राज्य वित्त आयोग अंतर्गत पंचायतों को प्रति वर्ष अधोसंरचना विकास हेतु राशि प्रदान की जाती है।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग अंतर्गत राज्य शासन के कर एवं करेत्तर राज्य आय की राशि पंचम राज्य वित्त आयोग में लगभग 07.75% की गई है।

बजट प्रावधान :-

- पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल राशि रुपये 1906.00 करोड़ प्रावधानित है, जिसमें जिला पंचायतों हेतु राशि रुपये 24.50 करोड़, जनपद पंचायतों हेतु 67.05 करोड़ एवं ग्राम पंचायतों हेतु राशि रुपये 1814.45 करोड़ प्रावधानित किये गये हैं।
- प्रत्येक जिला पंचायत को रुपये 20.00 लाख एवं प्रति अनुसूचित क्षेत्र की जनपद के मान से रुपये 6.00 लाख तथा प्रति सामान्य क्षेत्र की जनपद के मान से 4.00 लाख रुपये प्रावधानित किये गये हैं।
- प्रति अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायत को रुपये 25.00 लाख एवं प्रति सामान्य क्षेत्र की जनपद पंचायत को रुपये 20.00 लाख प्रावधानित किये गये हैं।
- प्रति अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को लगभग प्रति व्यक्ति रुपये 431.61 के मान से तथा प्रति सामान्य क्षेत्र की ग्राम पंचायत को लगभग प्रति व्यक्ति रुपये 323.57 के मान से राशि प्रावधानित की गयी है।

ऑनलाईन क्रियान्वयन :-

- पंचम राज्य वित्त आयोग राशि का उपयोग पंचायतों के उत्तरदायित्वों के तहत मूलभूत सेवाओं जो जन स्वास्थ्य एवं जन कार्य से संबंधित है एवं अधोसंरचना विकास के कार्य, बिजली बिल भुगतान, परिसंपत्तियों की मरम्मत इत्यादि मूलभूत आवश्यकतानुसार किया जावेगा।
- पंचायतों द्वारा “पंचायत दर्पण” पोर्टल के माध्यम से DSC द्वारा ऑनलाईन भुगतान किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं (VPRP) की निर्माण हेतु विभिन्न गतिविधियां



ग्राम का सामाजिक मानचित्रीकरण
ग्राम पंचायत उपला



SHG व PRI कंवर्जन्स के साथ ग्राम रुपारेल की GPDP कार्ययोजना निर्माण किया गया इसमें PRA मेथड का उपयोग कर ग्राम के मुद्दे और प्राथमिकता तय की गयी



जन जागरूकता हेतु सामुदायिक मोबलाईजेशन एवं आईईसी गतिविधियां ग्राम पंचायत जामली झारखंड



SHG व PRI कंवर्जन्स के साथ ग्राम रुपारेल की GPDP कार्ययोजना निर्माण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

संक्षिप्त परिचय—

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' (आरजीएसए)— यह योजना भारत सरकार पंचायत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित वर्ष 2018-19 से संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो कि वर्ष 2022-23 में पुनः विस्तार कर वर्ष 2026 तक के लिये प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। यह योजना त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यकारी अमलों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों को भी समग्र रूप से शामिल किया गया है।

कार्य क्षेत्र— म.प्र. में सभी 52 जिलों में लागू हैं जिसमें विशेष रूप से त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के साथ साथ 13 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं, पेसा अनुसूचित क्षेत्र एवं संबद्ध अंतर्विभागीय अभिकरण व संस्थाएं शामिल हैं।

वित्तीय प्रावधान—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए केन्द्र वित्त पोषित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान है।

मुख्य उद्देश्य— योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न है।

- योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत संस्थागत विकास करना है।
- पेसा अनुसूचित क्षेत्र के जिलो जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।
- पेसा एवं आकांक्षी जिलों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु अमला उपलब्ध कराना।
- ग्राम पंचायतों में ई इनेवलमेंट की गतिविधियों का क्रियान्वयन, कम्युनिटी सर्विस सेन्टर, पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना।
- विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का संस्थागत संरचनागत विकास एवं उन्नयन करना।
- आरजीएसए योजनांतर्गत आजीविका मूलक एवं नवाचार प्रकल्पों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

वित्तीय प्रगति (वर्ष 2022-23) (राशि करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्राप्त	व्यय	उपलब्धि का प्रतिशत
2022-23	435.39	राशि अनुमोदित अप्राप्त एवं 155.80 करोड़ पूर्व वर्षों की शेष राशि				92%

भौतिक प्रगति (वर्ष 2022-23)

- योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में विभिन्न ऑफ-लाइन/ऑनलाइन मोड से प्रशिक्षण सह क्षमता विकास अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबन्धित लगभग 2.16 लाख प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में पंचायत समिति के सदस्य, कार्यकारी अमला, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सीआरपी/एसएचजी के सदस्य एवं प्रतिनिधि आदि शामिल।
- आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के मुख्य विषय जैसे –थिमेटिक प्रशिक्षण अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण, जीपीडीपी नियोजन, लैंगिंग संवेदीकरण, पीआरआई-एसएचजी कंवर्जेंस, स्वयं की आय, कार्यालय प्रबंधन, महिला शक्तिकरण, जल शक्ति अभियान, डिजिटल साक्षरता- सिटीज़न चार्टर, सॉफ्ट स्किल्स, पोर्टल्स, ऑनलाइन बैंकिंग।

क्र.	प्रशिक्षण विषय	प्रतिभागी
1	सामान्य उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	43742
2	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	1890
3	जीपीडीपी एवं वीपीआरपी प्रक्रिया का प्रशिक्षण	85973
4	सतत विकास लक्ष्यों का प्रशिक्षण	50000
5	पीआरआई एसएचजी ट्रेनिंग	18075
6	पंचायत कार्यालय प्रबंधन एवं अकाउंटिंग, पेसा ग्राम सभा	5125
7	महिला सशक्तिकरण, लैंगिंग संवेदीकरण, जेण्डर ट्रेनिंग, स्वास्थ्य एवं पोषण	1200
8	डिजिटल अवेयरनेस, ऑनलाइन बैंकिंग	8218
9	साफ्ट स्किल डेवलपमेंट, आडिट/ऑनलाइन बैंकिंग, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल	1800
	कुल योग	216023

विशेष उपलब्धियां

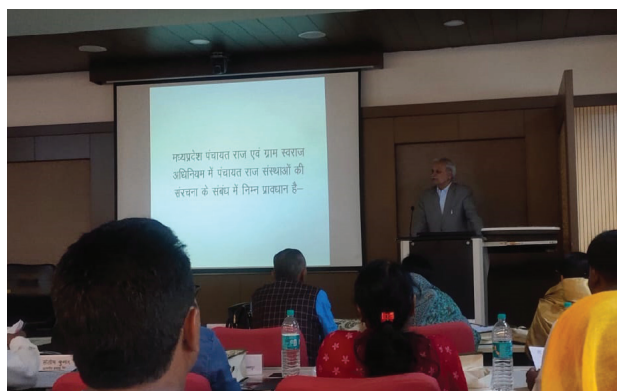
1. योजनान्तर्गत क्षमतावर्धन हेतु आयोजित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर दिनांक 06.09.2022 को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर का ToT वाल्मी, भोपाल में आयोजित।



पुनर्गठित पंचायत अवार्ड को लेकर WALMI, Bhopal में 26 जिलों के नोडल अधिकारियों का 15.09.2022 एवं 16.09.2022 को 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं राज्य स्तर से निरंतर वर्चुअल प्रशिक्षण।



2. समस्त जिलों के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।



3. माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वयं मास्टर ट्रेनर के रूप में सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर प्रदेश के 23000 सरपंचों को दिनांक 07.12.2022 को प्रशिक्षण दिया गया।



4. दिनांक 19.12.2022 को होटल लेक व्यू अशोका, भोपाल में संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय की अध्यक्षता में सबकी सहभागिता से समग्र जीपीडीपी निर्माण एवं सतत विकास के लक्ष्यों के एकीकरण हेतु समस्त 52 जिलों के ऐसी जनपद जिसे मॉडल जनपद के रूप में विकसित करना हो, वहां के जीपीडीपी नोडल अधिकारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा विभागीय योजनाओं एवं क्रियान्वयन संबंध में उन्मुखीकरण किया गया।



5. आरजीएसए योजनान्तर्गत विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों की संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण रणनीति का रोडमैप तैयार करने के संबंध में बैठक का आयोजन दिनांक 28.12.2022



6. “सबकी योजना सबका विकास” जन अभियान अंतर्गत दिनांक 13.01.2023 को संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय की अध्यक्षता में सबकी सहभागिता से समग्र जीपीडीपी निर्माण एवं सतत विकास के लक्ष्यों का एकीकरण हेतु संबंधित लाईन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, आयुक्त मनरेगा परिषद, राज्य कार्यक्रम समन्वयक एमबीएम, संचालक ग्रामीण रोजगार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीएसआरएलएम सहित महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि एवं पशुपालन आदि विभाग से वरिष्ठ अधिकारीगण बैठक में उपस्थित होकर अपने सुझाव दिये गये।



7. “सबकी योजना सबका विकास” जन अभियान अंतर्गत दिनांक 16.01.2023 को अवर सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय की अध्यक्षता में सबकी सहभागिता से समग्र जीपीडीपी निर्माण एवं सतत विकास के लक्ष्यों के एकीकरण हेतु संबंधित लाईन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें जीपीडीपी मार्गदर्शिका पुस्तक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित नववर्ष कैलेण्डर का विमोचन किया गया। इस प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों के जीपीडीपी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे तथा 313 जनपद पंचायत के जीपीडीपी नोडल अधिकारियों ने वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।



8. संजय गांधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी के द्वारा पुनर्गठित पंचायत अवार्ड पर 20 जिलों के नोडल अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।



9. "आर्थिक विकास एवं आय संवर्धन मूलक" विशेष प्रकल्प विशेष नवाचार सपोर्ट हेतु ग्रामीण समुदाय पर्यटन विकास से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार"

Strengthening life of rural community through Rural Tourism for innovation support under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)" -Phase-I

- प्रोजेक्ट लागत – 2.04 करोड़ एवं 5.04 करोड़ कुल 7.08 करोड़
- एजेन्सी— मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
- मुख्य उद्देश्य— चयनित ग्रामों में सामुदायिक आधारित ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय स्तर पर ग्रामीण समुदायों को वैकल्पिक आर्थिक विकास एवं आजीविका मूलक अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 400 होम स्टे का विकास करना हैं।
- पायलेट क्षेत्र – 32 जिलों की 58 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 63 ग्राम चयनित।
- हितग्राही हिस्सेदारी – चयनित हितग्राही द्वारा कुल लागत राशि की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत एवं आरजीएसए योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता 40 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रुपये
- होमस्टे का निर्माण की प्रगति – हितग्राही चयनित—409, निर्माण पूर्ण—32, निर्माण प्रगतिरत —141



- प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा के समीप स्थित ग्राम लाड़पुरा खास जिला— निवाडी में संचालित सामुदायिक पर्यटन आधारित होम स्टे



- वर्ष 2021-22 के लिये 'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' (UNWTO) द्वारा देश के 'उत्कृष्ट ग्रामीण पर्यटन ग्राम' अवार्ड के लिए भारत सरकार से नामित किया गया था जो की भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ ग्रामों से एक था।
- 'वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (डबल्यूटीएम) लंदन 2021 में आयोजित Responsible Tourism अवार्ड अंतर्गत भारतीय उप-महाद्वीप में गोल्ड अवार्ड एवं ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- खजुराहो एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ग्राम मदला जिला- पन्ना में संचालित होम स्टे
- संजय राष्ट्रीय उद्यान जिला- सीधी के समीप स्थित ग्राम खोखरा में संचालित होम स्टे



सांसद आदर्श ग्राम योजना

1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना** — सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य** —
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा —
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
 2. अधिकतम उत्पादकता
 3. बेहतर मानव विकास
 4. बेहतर आजीविका के अवसर
 5. असमानता में कमी
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत
5. **भौतिक उपलब्धि**—
 1. 01 अप्रैल 2022 से माह जनवरी 2023 तक 07 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर पोर्टल पर अपलोड की गई है।
 2. वर्तमान में SAGY-II (वर्ष 2019-24) अंतर्गत प्रदेश में कुल 49 ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022

15 नवंबर 2022 को माननीया राष्ट्रपति महोदया द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) पेसा नियम 2022 का विमोचन किया गया और इसी दिन से मध्यप्रदेश में पेसा नियम 2022 लागू हो गये हैं।

ग्राम सभा का सशक्तिकरण –

अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुक्रम में सशक्त किया गया।

पारंपरिक पद्धति से विवाद निवारण –

ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों में से कम से कम 05 व अधिकतम 07 सदस्यों का चयन कर “शांति एवं विवाद निवारण समिति” का गठन किया जायेगा। यह समिति पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से संबंधित किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर शांति एवं विवाद निवारण समिति को सूचित किया जायेगा।

कृषि विकास की योजनाएं –

ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाने में सक्षम होगी।

भूमि प्रबंधन –

शासकीय अथवा सामुदायिक भूमि के उपयोग में व्यपवर्तन से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, गिरवी अथवा अन्य किसी कारण से निजी भू-स्वामी के परिवर्तित होने की दशा में ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि शासकीय कार्यों के उपयोग, भू-अधिग्रहण, वैध उत्तराधिकार एवं अन्य विधिक प्रावधानों के विपरीत गैर-जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित न हो।

जल संसाधन प्रबंधन –

ऐसे जल संसाधन जो एक ग्रामसभा के सीमा क्षेत्र के भीतर हो, उन जल संसाधनों या निकायों के विषय में ग्रामसभा का विनिश्चय सभी स्तर की पंचायतों के लिए बाध्यकारी होगा। ग्रामसभा के विनिश्चय सिंचाई, मत्स्यपालन, पेयजल आदि हेतु आवंटन व जल स्रोतों की शाश्वतता से संबंधित हो सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम में उपलब्ध पानी के उपयोग में पेयजल, निस्तार, सिंचाई को प्राथमिकता देगी। ग्राम सभा शासकीय, सामुदायिक अथवा निजी जल निकायों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश जारी कर सकेगी।

गौण खनिज प्रबंधन –

खनिज विभाग, ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा। खनिज विभाग ग्राम सभा द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों का संज्ञान लेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रदान करेगा।

मादक पदार्थ नियंत्रण –

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने पर, ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इसे लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी। ग्राम सभा अपनी स्थानीय सेवाओं के भीतर देशी/विदेशी शराब की नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव विहित अधिकारी से प्राप्त होने पर इसके 45 दिन की कालावधि के भीतर नई दुकान खोलने की अनुमति दे सकेगी। यदि ग्राम सभा 45 दिन के भीतर सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा की इस पर सहमति नहीं है तथा दुकान नहीं खोली जाएगी तथा ग्राम के क्षेत्र के अंदर संचालित शराब/भांग दुकान के स्थल परिवर्तन की अनुशंसा कर सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा किसी निर्धारित सार्वजनिक स्थल/परिसर में शराब/भांग का उपभोग प्रतिबंधित कर सकेगी।

श्रम शक्ति नियोजन –

ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। यदि किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान किया जाता है, तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्रवाई करेगी।

गौण वनोपज प्रबंधन –

अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा सकेगा। यह समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या उसके अधीन गठित समिति या शासन द्वारा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी। तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्रामसभा चाहे तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्रामसभा इस बाबत संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये।

साहूकारी पर नियंत्रण –

साहूकारी लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी लायसेंस की एक प्रति आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम सभा को उपर्युक्त जानकारी से अवगत कराया जाएगा। साहूकार का यह दायित्व होगा कि वह उसके द्वारा दिये/चुकाये गये ऋण का ग्रामवार विवरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करे। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा उक्त जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को संसूचित की जाएगी। ग्राम सभा साहूकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपयुक्त पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी को यथोचित जांच एवं कार्रवाई हेतु अनुसंशित करेगी।



पेसा जागरूकता अभियान सम्मेलन जिला डिण्डोरी में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान



निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों के गठन के अभिनंदन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



भोपाल स्थित जंबूरी मैदान में आयोजित नव निर्वाचित सरपंचों के उन्मुखीकरण एवं सह प्रशिक्षण सम्मेलन में संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

ग्राम विकास यात्रा के दौरान जल कलश यात्रा में ग्रामीणजनों के साथ माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

पंचायतराज बजट वर्ष 2022-2023

(राशि लाख में)

विवरण	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 19 जनवरी, 2023 की स्थिति में)
सामान्य	526422.63	239599.20
अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सबस्कीम)	156815.67	54852.64
अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम)	109089.17	35143.63
योग	792327.47	329595.47

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं का योजनावार विवरण :-

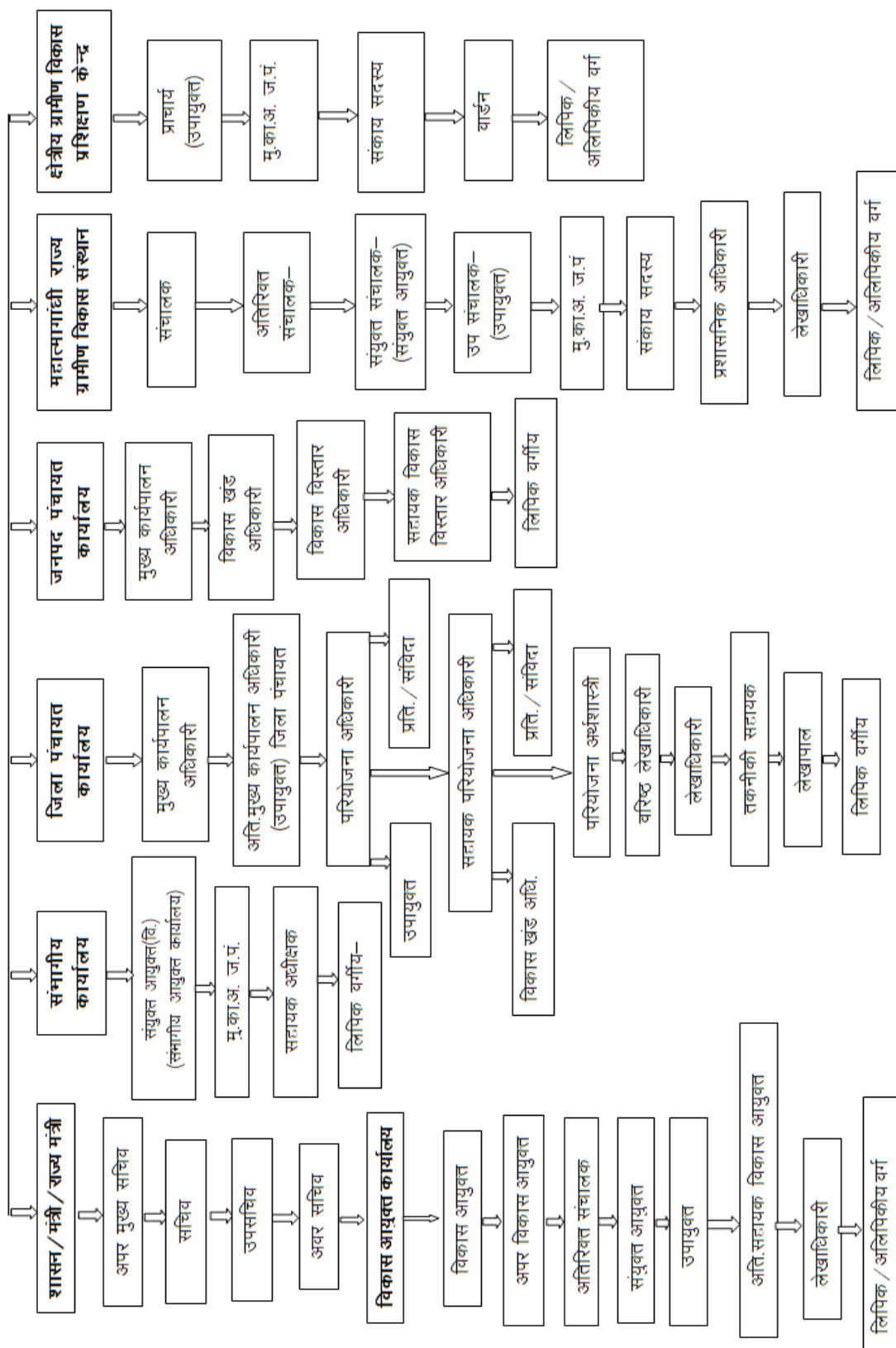
स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 19 जनवरी, 2023 की स्थिति में)
1	2	3	4
1	2467-पंचायत संचालनालय	737.18	568.47
2	2468-पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	99.71	85.28
3	2474-पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	22802.17	15449.29
4	4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढ़ी को अनुदान	57.75	36.96
5	0647-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)	17000.00	155.67
6	8775-प्रशासन योजना जिला स्तर (डी.आर.डी.ए.)	4800.00	200.00
7	9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	452200.00	147200.00
8	4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	20000.00	11395.40
9	5847-जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	500.00	387.20
10	6093-पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	5500.00	2420.00
11	6107-जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	400.00	256.00
12	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	59700.00	57298.77
13	5166-राष्ट्रीय पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.01	0.00
14	5669-मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.01	0.00

स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान	जारी आवंटन (दिनांक 19 जनवरी, 2023 की स्थिति में)
15	6086—अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	0.03	0.00
16	6087—अनुरक्षण हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	0.03	0.00
17	6602—स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	100.00	0.00
18	7668—स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान(राज्य करो में हिस्सा)राज्य वित्त आयोग	190600.00	77041.34
19	8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	0.03	0.00
20	8214—सचिवीय व्यवस्था	17600.00	17028.05
21	8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार	0.03	0.00
22	8393—पंचायत गजट	40.33	17.24
23	8816—ग्राम सभाओं का सुदृढीकरण एवं सोशल आडिट	87.19	55.80
24	9545—विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	103.00	0.00
	कुल योग	792327.47	329595.47

खण्ड-दो ग्रामीण विकास

पृष्ठ क्रमांक 28 से 128 तक

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना



विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण (विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत राज्य स्तर का अमला)

स्थानांतरण/संशोधन/निरस्त (01 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक)

क्र.	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त	पदस्थापना
1	उपायुक्त (वि.)	24	0	3	0
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	95	4	6	0
3	विकास खंड अधिकारी	12	0	0	0
4	विकास विस्तार अधिकारी	01	0	0	0
5	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	06	0	0	0

नियुक्तियों

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 00
- विकास खंड अधिकारी — 00

विभागीय जांच (मुख्यालय स्तर पर)

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 04
- विकास खंड अधिकारी — 00

न्यायालयीन प्रकरण

(मुख्यालय स्तर पर) कुल 158 न्यायालयीन प्रकरण है।

- रिट पिटीशन (WP) के कुल 147 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 131 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत।
- अवमानना (CP) प्रकरण के कुल 11 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 08 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत।

वर्ष 2022-23 हेतु प्रावधानित राशि आवंटित राशि एवं व्यय राशि दर्शाने वाला पत्रक

ग्रामीण विकास विभाग -5802

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2021-22 का व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय/ आवंटित राशि (दिनांक 15.01.2023)
1	2	3	4	5	6	7
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनायें						
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (60:40)	30	6836	59268.71	86500.00	20352.62
2	नेशनल रूलर इकोनामिक ट्रान्सफरमेंशन प्रोजेक्ट- एनआरईटीपी (नवीन) (60:40)	30	9520	0.00	12000.00	5439.87
3	स्टार्टअप इन्टरप्रो-योरशिप प्रोग्राम-एम.वी.ई.पी. (60:40)	30	9523	0.00	2000.00	131.98
4	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-डीडीयूजीकेवाय (नवीन) (60:40)	30	9526	0.00	7000.00	0.00
5	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-एमकेएसपी (नवीन) (60:40)	30	9528	0.00	0.06	0.00
6	रूलर सेल्फ इम्प्लायमेंट टेनिंग इंस्टीट्यूट-आरसेटी 100: (नवीन)	30	9527	0.00	2500.00	0.00
(एनआरएलएम योग)				59268.71	110000.06	25924.47
7	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (60:40)	30	6931	141167.00	80000.00	53808.30
8	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किचिन शेड मरम्मत एवं किचिन डिवाईसोज रिप्लेसमेंट (60:40)	30	0656	0.00	500.00	0.00
9	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड) (60:40)	30	6099	0.00	0.06	0.00

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2021-22 का व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 15.01.2023)
10	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन)(100:)	30	7886	5500.00	6500.00	4161.11
11	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज) (100:)	30	0656	0.00	0.01	0.00
	(एम.डी.एम.) कुल योग			146667.00	87000.07	57969.41
12	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	30	5198	550000.00	1100000.03	920000.02
13	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (75:25)	30	6923	374933.35	350000.00	99918.68
14	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एडमिन)	30	6923	0.00	0.00	0.00
15	सामाजिक संपरीक्षा (नवीन) 100 प्रतिशत	30	9566	0.00	0.01	0.00
16	प्रोजेक्ट उन्नति (मनरेगा) (नवीन) (100 प्रतिशत)	30	1072	0.00	0.00	0.00
17	क्लस्टर फेसिलिटेशन प्रोजेक्ट (मनरेगा) (नवीन) (100 प्रतिशत)	30	1073	0.00	0.00	0.00
18	स्वच्छ भारत अभियान (60:40)	30	5206	50000.00	40000.00	5746.95
19	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (60:40)	30	5770	16271.82	20000.00	19744.00
20	(बुंदेलखंड पैकेज) अति. केन्द्रीय सहायता	61	6109	0.00	0.02	0.00
21	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (60:40)	30	7467	262906.81	283000.00	202727.17
22	'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (60:40)	30	0660	0.00	2000.00	0.00
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योग				1460047.70	1992000.20	1332030.69

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2021-22 का व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 15.01.2023)
(ब) राज्य स्तरीय योजना						
	प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़को का नवीनीकरण व उन्नयन (अनुरक्षण मद) (नवीन)					
1	म.प्र. परिवहन अद्योसरचना विकास निधि (0550, 0552, 0553)	30	9216	35000.00	10050.03	8040.02
2	खनिज क्षेत्र विकास निधि (0420, 0422, 0423)	30	9216	0.00	20000.00	16000.00
3	राज्य स्तरीय (0101, 0102, 0103)	30	9216	50000.00	25000.00	25000.00
4	पूँजीगत कार्यो हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (1901, 1902, 1903)	30	9216	0.00	25000.00	25000.00
	(अनुरक्षण मद) कुलयोग			85000.00	80050.03	74040.02
5	मुख्य मंत्री अंत्योदय आवास योजना	30	9610	0.00	1000.00	440.00
6	म.प्र.ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	0.00	0.06	0.00
7	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दुग्ध प्रदाय योजना	30	1329	1424.57	4500.00	376.17
8	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोईयों के मानदेय भुगतान की राज्य योजना (नवीन)	30	9564	0.00	21000.00	16800.00
9	म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	30	6930	670.00	730.00	584.00
10	राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यो.	30	5127	0.00	0.01	0.00
11	महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना-2018 (नवीन)	30	9567	0.00	8371.03	0.00

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2021-22 का व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 15.01.2023)
12	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण (नवीन)	30	9545	0.00	585.00	0.00
13	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	30	5565	160.00	200.05	160.04
14	मध्याह्न भोजन परिषद	30	5566	80.44	85.00	68.00
15	मुख्यमंत्री आवास मिशन	30	6255	40287.00	39000.00	28329.00
16	विकास भवन -WDDF	30	7251	93.40	1000.00	0.00
17	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	30	2368	0.00	0.01	0.00
18	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	30	2372	0.00	0.01	0.00
19	ग्रामीण पथ व्यवसाई उत्थान	30	9856	1986.00	2000.00	480.00
20	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता योजना	30	5669	0.00	0.01	0.00
21	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (विदेशी सहायता)	30	^0654	60200.00	40000.00	40000.00
	(ब) राज्य स्तरीय योग			189901.41	198521.21	161277.23
(स)	वेतन भत्ते संबंधी योजनाएँ					
1	विकास खण्ड कार्यालय	30	1033	11486.65	17500.51	8869.77
2	विकास आयुक्त	30	3926	1188.43	1763.84	1023.36
3	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र	30	1166	320.00	500.00	320.00
4	राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान-42-002	30	1214	53.13	53.13	42.50
5	राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान-42-007	30	1214	60.00	196.90	126.02
6	कार्यालय भवनों का निर्माण / विधुतिकरण आदि	30	1032	178.62	200.00	92.66
7	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	30	8711	640.00	640.00	512.00
8	आरजीएम परिषद	30	5568	211.00	211.00	168.80
	(स) वेतन भत्ते योग			14137.83	21065.38	11155.12
	कुल योग (अ+ब+स)			1664086.95	2211586.79	1504463.04

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2021-22 का व्यय	वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	IFMS सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 15.01.2023)
(द)	प्रमुख अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा-5803					
1	मुख्यमंत्री ग्रा. सड़क एवं अवसंरचना योजना	30	6084	9705.70	15000.00	3280.40
2	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण (नवीन)	30	9545	0.00	200.00	5.00
4	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	30	1208	16794.00	20483.21	14264.53
	(द) प्रमुख अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा-5803- योग			26499.70	35683.21	17549.93
	महायोग (अ+ब+स+द)			1690586.64	2247270.00	1522012.98

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

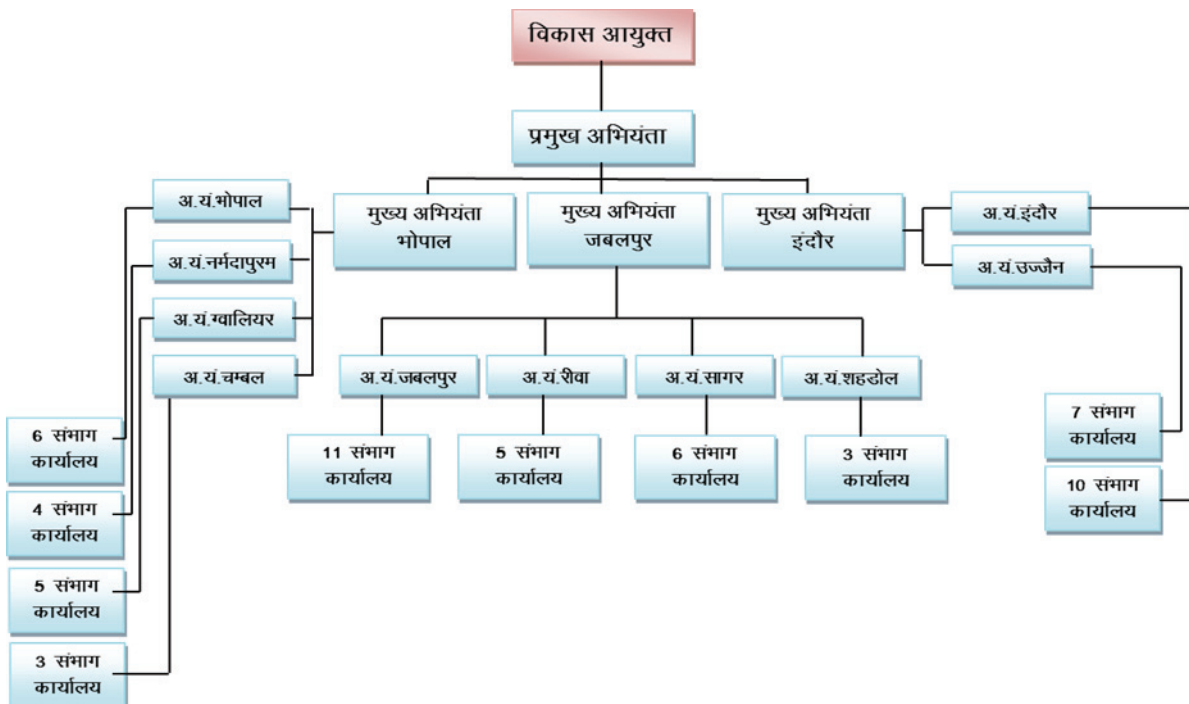
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रु. 15 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस प्रकार दो मुख्य दायित्व हैं :

- प्रथम दायित्व के रूप में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- द्वितीय दायित्व के रूप में विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत है। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। जनपदों में एवं उपसंभागीय कार्यालयों हेतु 643 सहायक यंत्रियों के पद निर्मित हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सम्पादित कार्य : ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।



कार्य का स्वरूप :-

प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 8942 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए कुल 20092 कि.मी. लंबाई की 8714 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :-

- योजनान्तर्गत दिसम्बर 2022 तक 8294 सड़कें लंबाई 19139 कि.मी. पूर्ण की गई, पूर्ण सड़कों से 8458 ग्राम लाभान्वित हुए हैं।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रीग्रेवलिंग कार्य हेतु पात्र 1121 सड़कें, लंबाई 2695 किमी की स्वीकृत की गईं जिनमें से 397 सड़कें, 852 किमी लंबाई की पूर्ण की जा चुकी हैं, जिन पर योजनान्तर्गत राज्य मद में कुल स्वीकृत राशि रु. 51.00 करोड़ में से रु. 17.53 करोड़ व्यय किया

गया है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क निर्माण हेतु प्राप्त आवंटन रु. 50.00 करोड़ में से दिसम्बर, 2022 रु. 32.81 करोड़ का व्यय किया जाकर 33 कि.मी. लंबाई का कार्य पूर्ण किया गया तथा 838 कि.मी. लंबाई में रीग्रेवलिंग का कार्य पूर्ण किया गया है।
- माननीय विधायकों के 100 प्रस्ताव, प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 122.35 करोड़ में सम्मिलित कुल 159 विभिन्न प्रकार (सड़क, भवन, पुल-पुलिया, सौन्दर्यीकरण आदि) के विकास कार्यों में से 99 कार्य लागत रु. 81.67 करोड़ की निविदा आमंत्रण उपरांत संविदाकारों को कार्यादेश जारी किये गये हैं। इन कार्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर का निर्माण :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में “विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर” भवन का निर्माण कार्य किया जावे।



उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। इस भवन के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रु. 53.38 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.05.2012 को प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए वास्तुविद सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था ई.पी.सी.ओ. (एफ्को) द्वारा प्रदान की गई हैं। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जिस पर दिसम्बर, 2022 तक राशि रु. 58.52 करोड़ व्यय किया जा चुका है। भवन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 78.42 करोड़ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

यह योजना भारत सरकार द्वारा “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” के तहत संचालित है।

उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को संपूर्ण वित्त वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका संरक्षित करना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस काम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन।

पात्रता :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

क्रियान्वयन प्रक्रिया :

- इच्छुक परिवारों का ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होगा।
- पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी।
- जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

मजदूरी दर :

- केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत “जितना काम उतना दाम” के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत प्रतिवेदित वर्ष में 204 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2022 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

बेरोजगारी भत्ता नियम 2021

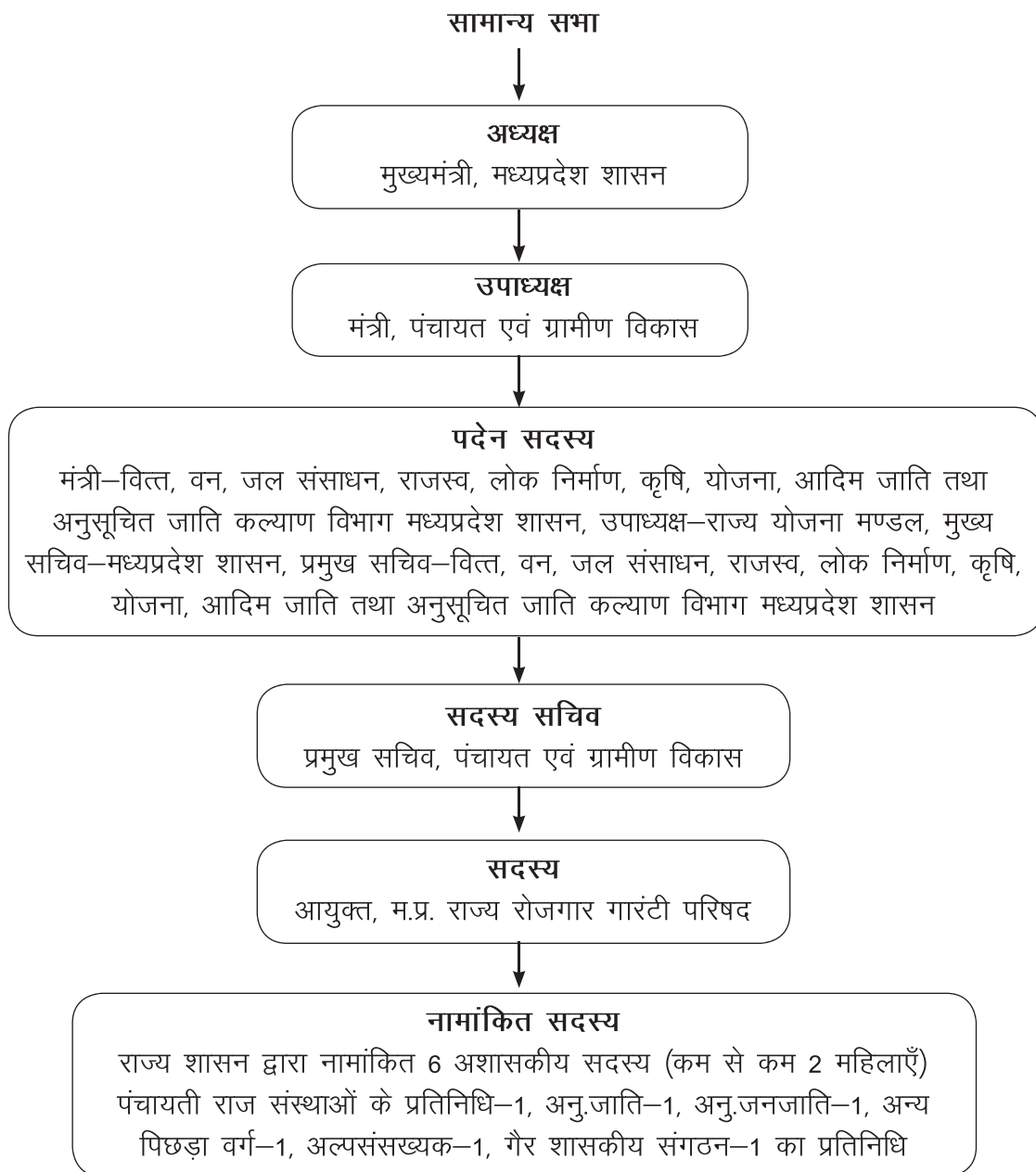
- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत प्रावधानित बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया हेतु ‘बेरोजगारी भत्ता नियम 2021’ प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद :

- राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 18.01.2006 को पंजीकृत की गई है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन, संचालन और मूल्यांकन के लिए तीन समितियां गठित की गई हैं।
- सामान्य सभा
- सशक्त समिति
- कार्यकारिणी समिति

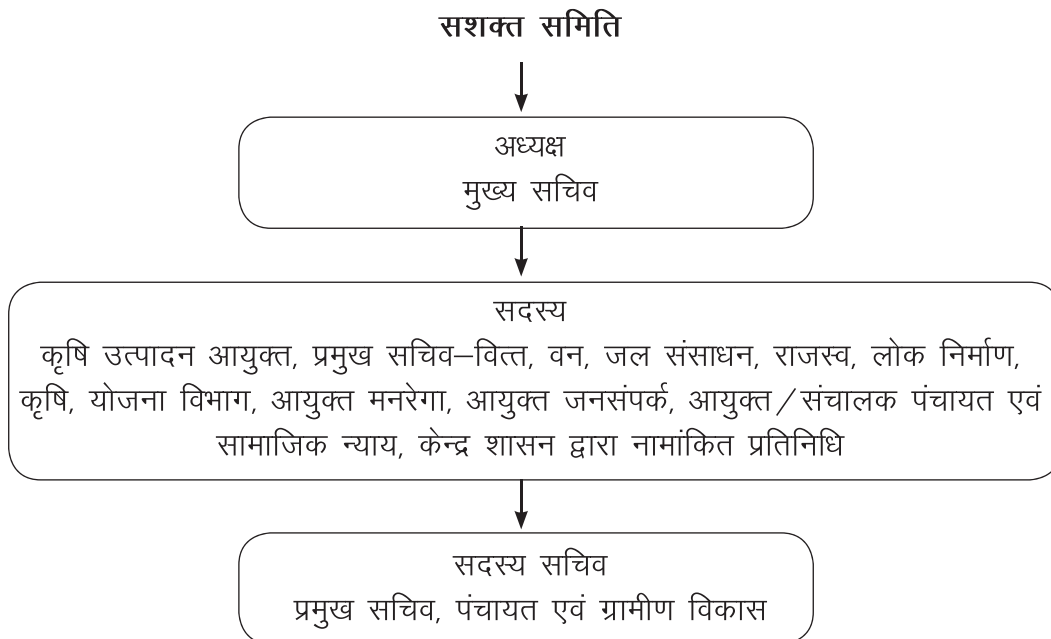
सामान्य सभा :-

अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार तैयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम- म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सामान्य सभा गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्यस्तरीय सामान्य सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे:-



सशक्त समिति :

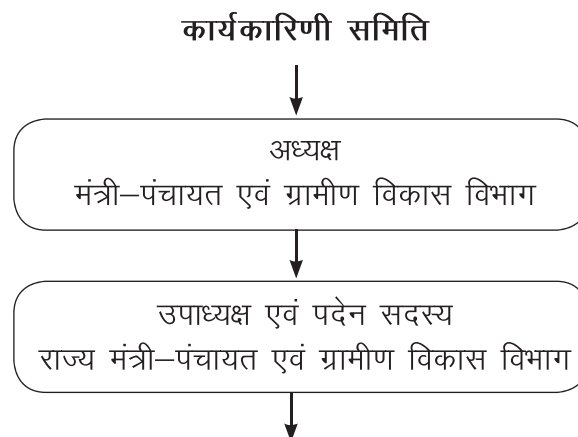
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की राज्य स्तरीय सशक्त समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :-



कार्यकारिणी समिति :-

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 960/एनआर-2/एमजीएनआरईजीएस/भोपाल, दिनांक 01.02.2013 द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। यह समिति सामान्य सभा एवं सशक्त समिति के अतिरिक्त है, जिसका गठन योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजनाओं में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है।

परिषद् की एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-



सदस्य

प्रमुख सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त-पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, संचालक-राजीवगांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, संचालक-ग्रामीण रोजगार, परियोजना समन्वयक-इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना (DPIP), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), संचालक-महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)- मनरेगा, संचालक-जन शिकायत एवं गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ मनरेगा, मुख्य अभियंता-मनरेगा, मुख्य अभियंता-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)-मनरेगा



सदस्य सचिव

आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

उपयोजनाएँ :

हितग्राही मूलक :

(अ) **हितग्राही मूलक योजनाएँ** :- योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराने हेतु निम्न उपयोजनाएं लागू हैं :-

1. **हितैषी कपिल धारा** :- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित डिजाइन के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत नवीन कूप निर्माण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निजी भूमिधारी पात्र हितग्राही के पास न्यूनतम 1.0 एकड़ भूमि आवश्यक है।
2. **खेत तालाब** :- मनरेगा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कृषकों के निजी खेत में सिंचाई एवं भू-जल रिचार्जिंग के लिये खेत तालाब निर्माण हेतु 400 घन मी. जल क्षमता का, 1000 घन मी. तथा 3,600 घन मी. जल क्षमता के खेत तालाब बनाये जाने का प्रावधान है।



मनरेगा योजनागत खेत तालाब
निर्माण जिला-बालाघाट

3. **नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट** :- मनरेगा योजना अंतर्गत बायोमास को उच्च गुणवत्ता वाले कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिये नाडेप प्रभावी तरीका है। इसके लिये 4.0m x 1.50m x 1.0m में ईट की जालीदार चिनाई का प्रावधान रखा गया है, वर्मी कम्पोस्ट पिट हेतु (जैविक खाद तैयार करने) 3.60m x 1.50m x 0.76m का प्रावधान रखा गया है।
4. **गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु** :- मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है। योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों की अनुसूची में आजीविका व पशुपालन संबंधी कार्य शामिल किये गये हैं। जिसके अंतर्गत गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु एवं 10 पशु बकरी पालन हेतु शेड निर्माण, कुक्कुट पालन पालन हेतु शेड निर्माण पात्र हितग्राही को दिए जाने का प्रावधान है।
5. **निजी खेत में फलोद्यान** :- इस योजना के तहत नरेगा जाबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, IAY /PMAY के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी हक प्रमाण धारक एवं लघु व सीमान्त कृषक) के खेतों में फलोद्यान परियोजना का कार्य किया जा सकेगा। जिसमें निजी खेतों में ब्लाक प्लानटेशन 400 पौधा प्रति एकड़, 250 पौधा प्रति एकड़ और 100 पौधा प्रति एकड़ हेतु लाभ दिए जाने का प्रावधान है।



मनरेगा योजना अंतर्गत नंदन फलोद्यान जिला-बैतूल

6. **प्रधानमंत्री आवास योजना** :- प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों में अकुशल श्रमिक अंश की पूर्ति मनरेगा से किये जाने के निर्देश हैं। प्रदेश के आई.ए.पी. के 10 जिलों (अनुपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया) में 95 दिनों की मजदूरी तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है।
7. **वनवासी संवर्धन** :- वनवासी संवर्धन सुदूर वन अंचलो में निवास करने वाले वन अधिकार अधिनियम के वनाधिकार प्रमाण-पत्र धारक ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ देने हेतु “वनवासी संवर्धन” उपयोजना निर्मित की गई है। मास्टर सर्कुलर 2021-22 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टाधारी एवं जाबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 150 मानव दिवसों के रोजगार पाने की पात्रता है।
8. **जय किसान उपयोजना** :- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की बंजर/ पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु जय किसान उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के

पत्र क्र. 5082 दिनांक 25/11/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं।

9. **बोल्डर चेकडेम** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संचयन हेतु बोल्डर चेकडेम का प्रावधान किया गया है। जिसका आकार $10.0\text{m} \times 4.50\text{m} + 0.50/2 \times 1.0\text{m}$ एवं जिसकी लागत 0.09 लाख रुपये निर्धारित है।
10. **वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर खेतों में सिंचाई की सुविधा हेतु वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण का प्रावधान किया गया है।
11. **रिचार्ज पिट** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संरक्षण एवं संवर्धन अंतर्गत रिचार्ज पिट का प्रावधान है। जिसका आकार $3.0\text{m} \times 3.0\text{m} \times 3.0\text{m}$ निर्धारित है।

समुदाय मूलक :

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों/योजनाओं के अभिसरण से निम्नानुसार सामुदायिक विकास कार्य कराये जाते हैं :-

1. **निर्मल नीर** :- प्रदेश में पेयजल की कठिनाई के दृष्टिगत पेयजल कूप के निर्माण हेतु तीन डिजाइन के मानक निर्धारित हैं। आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 12 मी. एवं आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 15 मी. (प्लेटफार्म, जगत, सोकपिट, ड्रेन घिरनी सहित) आकार निर्धारित है।
2. **ग्रामीण क्रीड़ांगन** :- ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का उद्देश्य दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से संबंधित है। इसमें खेल मैदान विकसित किये जा सकते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्राप्त हों। दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से खेल मैदान विकसित करने की तथा बैठक व्यवस्था एवं मूत्रालय निर्माण का प्रावधान है। यह भी निर्देश है कि मैदान का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. **शांतिधाम** :- शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 2000 से कम या अधिक पद क्रमशः एक एवं दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जावे। शांतिधाम/कब्रिस्तान हेतु केवल पक्का चबूतरा शेड निर्माण सी.पी.टी. निर्माण कराया जावे, चारों ओर वृक्षारोपण कराया जावे। पानी की व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प एवं सतही टंकी के लिये मानक लागत 1.00 लाख नियत की जाती है। जिसे सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान पंचायत मद से आय अथवा जनसहयोग से प्राप्त की जा सकती है।

बारहमासी सड़क सम्पर्कता :

4. **(a) आंतरिक सीमेंट कांकीट सड़क/पथ निर्माण** :- ग्रामों में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण से नाली निर्माण किया जाता है। आंतरिक सीमेंट कांकीट सड़क 3 मी. चौड़ाई तथा नाली निर्माण हेतु मनरेगा से 15 प्रतिशत अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
4. **(b) सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना** :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम एवं टोले मजरे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के छोटे हुये ग्राम, मजरा-टोला, एप्रोच रोड खेत समूह को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना के तहत बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये प्रावधान किया गया है।

5. **भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) :-** विभाग के पत्र क्र. 406/सी.एफ.सी./2021/दिनांक 25.05.21 के अनुसार मनरेगा अभिसरण अंतर्गत 15वे वित्त आयोग अंतर्गत अनाबद्ध राशि से पंचायत भवन निर्माण के निर्देश जारी किये गये हैं (अनूपपुर, भोपाल, नीमच, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी को छोड़कर), जिसकी मानक लागत रुपये 20.00 लाख निर्धारित है। जिसमें 10.00 लाख रु. मनरेगा अंश एवं 10.00 लाख रु. राज्य वित्त आयोग से अभिसरण अंतर्गत लिये जाने का प्रावधान है। मनरेगा से अभिसरण की दशा में नरेगा अंश के लिए ग्राम पंचायत स्वीकृति जारी करेगा तथा शेष राशि अभिसरण से प्राप्त की जावेगी।
6. **आंगनबाड़ी भवन :-** महिला एवं बाल विकास/परफारमेंस ग्रांट अभिसरण से भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु (आंगनबाड़ी भवन बगैर बाउण्ड्रीवॉल) तथा आंगनबाड़ी भवन बाउण्ड्रीवाल सहित निर्माण किया जाता है। जिसमें मनरेगा अंश 5 लाख रु. एवं महिला एवं बाल विकास का अंश 4.50 लाख रु. है। नवीन आंगनबाड़ी भवनों हेतु मनरेगा का अंश रु. 5.00 लाख बढ़ाया जाकर रु. 8.00 लाख किया गया है।
7. **अनाज गोदाम :-** ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वितरण प्रणाली केन्द्रों पर, सहकारिता विभाग द्वारा चयनित स्थल पर अनाज भण्डार हेतु 100 मैन.टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा की शत-प्रतिशत राशि से किया जाना है।
8. **प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन (NRM) :-** इसके अंतर्गत पंचायत, जनपद एवं जिलों में विकास कार्यों पर स्वीकृति कुल राशि का 65% जल संवर्धन के कार्यों पर किया जाना प्रावधानित है।
9. **चंदेला/बुंदेला कालीन प्राचीन तालाबों की मरम्मत/जीर्णोद्धार :-** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विभाग के पत्र क्र. 8695 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार तालाब मरम्मत/जीर्णोद्धार के निर्देश जारी किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी व गुना के ऐसे प्राचीनकाल तालाब और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी और पन्ना जिले के ऐसे चंदेल कालीन व बुन्देलकालीन तालाबों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनकी जल भराव क्षमता कम हो गयी है।
10. **चारागाह व नर्सरी निर्माण :-** महात्मा गांधी नरेगा परिषद भोपाल के आदेश क्र. 11202 दिनांक 26.02.2019 द्वारा गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्र. 124 भोपाल दिनांक 06.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। गौशाला में उपलब्ध गौवंश को हरे चारे की माँग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण की परियोजना बनायी गयी है।
11. **किचन शेड कम डायनिंग हॉल :-** महात्मा गांधी नरेगा एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अभिसरण से निर्मित होने वाले किचन शेड सह स्टोर रूम के साथ डायनिंग हॉल निर्माण के संबंध में विभाग के पत्र क्र. 8106 दिनांक 24.02.2020 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी लागत टाइप-1 25 छात्रों हेतु एवं टाइप-2 50 छात्रों हेतु निर्मित किये जाने का प्रावधान है।
12. **समूह के लिए SHG संघ भवन का निर्माण :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत समूह के लिए SHG/संघ भवन का निर्माण करने संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 2477 दिनांक 18/09/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत संचालित DAY-NRLM के तहत गठित स्वसहायता समूहों की कृषि आधारित व खाद्यान्न भण्डारण संबंधी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिये तथा इनके कृषि व अन्य उत्पादों के विक्रय के प्रचार प्रसार हेतु SHG संघ भवन का निर्माण करने का प्रावधान है।
13. **शासकीय शालाओं में पहुंचमार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय शालाओं में पहुंच मार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये

जाने संबंधी निर्देश आयुक्त मनरेगा एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र क्र. 5129 दिनांक 01/12/2020 के अनुसार जारी किया गया है।



मनरेगा योजना अंतर्गत बाउंड्रीवॉल निर्माण जिला – खरगोन

14. **गौचर भूमि विकास उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत गौचर भूमि विकास उपयोजना सामुदायिक चारागाह विकास के कार्य कराये जाने संबंधी आदेश विभाग के पत्र क्र. 5084 दिनांक 25/11/2020 संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्वसहायता समूह (SRLM एवं NABARD अंतर्गत गठित) के माध्यम से चारागाह विकास का निर्माण कार्य कराया जावेगा। चारागाह परियोजना का संचालन स्वसहायता समूहों/ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
15. **महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से हितग्राही एवं समुदाय के लिये पोषण उद्यान (Nutri-Garden) का विकास :-** ग्रामीण परिवारों को पोषणयुक्त फल सब्जी की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से पोषण उद्यान विकसित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
16. **सामुदायिक टांका निर्माण :-** प्रदेश के ऐसे ग्राम जिनमें ग्रीष्म ऋतु में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है उनमें पेयजल, विस्तार, पशुओं व पेड़ पौधों को पानी की परेशानी के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन हेतु सामुदायिक जल संचयन पोण्ड (टांका निर्माण) के निर्देश विभाग के परिपत्र क्र. 140/3/2020 दिनांक 14/05/2020 द्वारा जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चिन्हित ग्रामों में 50,000 लीटर एवं 1,00,000 लीटर क्षमता के टांका निर्माण किये जाने के निर्देश हैं।
17. **बाल्मीकी मियावाँकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण :-** ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों के सघन सामुदायिक वृक्षारोपण के माध्यम से आजीविका सद्दीकरण हेतु विभाग के पत्र क्र. 1616/3/2020 दिनांक 10/08/2020 से निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 0.25 एकड़, 1 एकड़ एवं 1 हेक्टर क्षेत्र में क्रमशः 1,000, 4,000 व 10,000 स्थानीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त प्राचीन प्रजातियों के पौधे/झाड़ियाँ/लताओं एवं औषधीय पौधे का रोपण किये जाने के निर्देश हैं।

18. **जैविक बागड़ :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत जैविक बागड़ शासकीय स्कूलों, आंगनवाडी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अनाज गोदान, शासकीय मंदिर, तालाब के किनारे, शांतिधाम, खेल मैदान आदि परिसरों में लगाने हेतु विभाग के पत्र क्र.1618 दिनांक 10/08/2020 द्वारा जारी किये गये हैं।
19. **ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव हेतु ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5656/3/2020 दिनांक 18/12/2020 से जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत रु. 30 लाख की सीमा तक जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
20. **मंदिर कुंज/नक्षत्र वाटिका :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर कुंज के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 57/3/2020 दिनांक 05/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत क्रमशः धर्मस्व/अध्यात्म विभाग के पंजीकृत मंदिर/धार्मिक स्थल जिनके पास वृक्षारोपण/ फलोद्यान परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध हो, ऐसे स्थलों पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
21. **मंदिर सरोवर उपयोजना :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मंदिर सरोवर उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 40/3/2020 दिनांक 02/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय देवस्थान मंदिर जिनके पास 15 हेक्टर से अधिक भूमि हो, ऐसे मंदिर सरोवर का निर्माण मंदिर के पुजारी/समिति के अनुशंसा के आधार पर कर सकते हैं।
22. **गौशाला परियोजना :-** प्रदेश में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा व देखभाल हेतु गौशालाओं का निर्माण विभाग के पत्र क्र. 893 दिनांक 25.06.20 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। 100 निराश्रित गौवंश हेतु मनरेगा मद से अधोसंरचना निर्माण तथा जिसमें बिजली पानी की व्यवस्था अभिसरण अंतर्गत होगी।
23. **देवारण्य योजना :-** विभाग के पत्र क्र. 7145/MGNREGS/NR-1/2021 भोपाल दिनांक 26.11.2021 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा आयुष आधारित 'देवारण्य' योजना प्रारंभ की गई है। 'देवारण्य' के कार्य शासकीय व सामुदायिक भूमि और निजी भूमि पर क्रमशः "सामुदायिक गतिविधि" एवं "एकल गतिविधि" के रूप में किये जायेंगे।
24. **पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण :-** महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब चेकडेम तथा स्टॉपडेम के मनरेगा अंतर्गत परिणाम संयोजित (Outcome Linked) जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण और इसमें ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 10293/MGNREGS/NR-1/2021 भोपाल दिनांक 11.08.2021 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसका प्रमुख उद्देश्य इन जल संरचनाओं के भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं ग्रामीण समुदाय सिंचाई, मत्स्य उत्पादन एवं सिंचाई उत्पादन का आर्थिक लाभ ले सके।
25. **अमृत सरोवर :-** मध्यप्रदेश में मिशन अमृत सरोवर की अवधारणा Outcome Oriented और Sustainable Use पर आधारित है। Outcome Oriented अमृत सरोवरों हेतु वृहद स्वरूप की और न्यूनतम 10 हजार घनमीटर भंडारण क्षमता की ऐसी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन, सिंचाई उत्पादन जैसे किसी न किसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। अमृत सरोवरों के Sustainable Use के लिए लाभ लेने वाले हितग्राहियों के उपयोगकर्ता समूहों का गठन किया गया है। प्रदेश में बनाये जा रहे अमृत सरोवर के केचमेंट को भी उपचारित और लैंडस्केप

को वृक्षारोपण, पैदल पथ का निर्माण, फलेग पोस्ट का निर्माण इत्यादि के द्वारा विकसित किया जा रहा है।



अमृत सरोवर निर्माण जिला— बुरहानपुर

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 75 के मान से 3 हजार 900 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रदेश में 5 हजार 157 अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है, जिनकी अनुमानित लागत राशि रुपये 1089 करोड़ है।



अमृत सरोवर निर्माण जिला—शहडोल

क्र.	स्तर	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय), भोपाल	207	87	120
2.	संभाग स्तर पर	30	15	15
3.	प्रशिक्षण केन्द्र (ETC/SIRD)	06	01	05
4.	जिला स्तर पर	933	230	703
5.	जनपद स्तर पर	4695	2620	2075
6.	ग्राम पंचायत स्तर पर	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक (अंशकालिक मानदेयी)	20565	2440

रोजगार की उपलब्धता :- (31 जनवरी 2023 की स्थिति में)

- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2022-23 में 89.83 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों में से 67.79 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार है। वर्ष 2022-23 में 2087.4 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।
- जिनमें से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 14.08 प्रतिशत मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 32.03 प्रतिशत मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 41.65 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं।
- वर्ष 2022-23 में 79161 निःशक्तजनों को महात्मा गाँधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2022-23 (30 जनवरी 2023 की स्थिति में)

विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री एवं प्रशासनिक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	999.18
	749.39	249.79	
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			4097.29
अंतिम शेष राशि (दिनांक 31.03.2022)			1703.79
कुल प्राप्त आवंटन			6800.26
कुल व्यय राशि			6237.42

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS) :

- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 4182.51 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 2337.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि 6814.52 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि रु. 513.47 करोड़ लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रचलन में है। (स्रोत-NREGASoft – MIS Report दिनांक 31.01.2023)

योजनांतर्गत किये गये कार्यों का विवरण :

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार बुनियादी कार्य कराए जाते हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में (31 जनवरी 2023 की स्थिति में) कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 9.41 लाख एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 11.27 लाख है। ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का प्रकार	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
ग्रामीण अधोसंरचना विकास	10939	29084
भारत निर्माण सेवा केंद्र	68	541
सूखा रोधन	4950	29888
मछली पालन	129	353
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	1489	3858
अनाज भण्डारण	3	37
भूमि विकास	6287	13243
सूक्ष्म सिंचाई कार्य	466	1386
अन्य काम	3	91
खेल मैदान	62	292
पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	4415	12206
ग्रामीण संपर्क	18512	41752
ग्रामीण पेय जल	49	286
ग्रामीण स्वच्छता	29765	41593
जल संरक्षण और जल संचयन	65145	125385
व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (क्षेत्री IV)	799642	909726
कुल	941924	1209721

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा सॉफ्टवेयर का उपयोग योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाईम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।
- राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS (National Electronic Fund Management) से किया जा रहा है।
- प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिगनेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS : (Geographical Information System)

जियो मनरेगा

- जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) की भुवन मोबाईल एप्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटेलाइट मैप पर देखी जा सकती है। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- जियो मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम मस्टररोल जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

जीआईएस आधारित प्लानिंग

- प्रत्येक वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मनरेगा में अनुमत विभिन्न NRM (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) एवं Non & NRM कार्य चिन्हित किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की GIS आधारित कार्य योजना बनाई जानी थी। जिसके पालन में 22602 पंचायतों में GIS मैप तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही 21769 पंचायतों के वाटर बजट भी तैयार किए गए हैं।
- इस हेतु Google Maps एवं Bhuwan वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न नक्शे जैसे — Location map, Land-use land-cover map, Soil erosion map, Geomorphology map, Lineament map, Drainage map, Watershed boundary map, Hydrology map, Salt affected map, Geo-MGNREGA Asset Map आदि का उपयोग कर ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य चिन्हित किए गए। निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के GIS आधारित कार्य योजना बनाई जाकर उसे नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया गया।

SECURE Software :

- SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) का क्रियान्वयन मनरेगा योजना में 01 अप्रैल 2019 से मध्यप्रदेश में किया गया है। उक्तानुसार सॉफ्टवेयर से कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं कार्यों की स्वीकृति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नरेगा सॉफ्टवेयर में कार्य योजना में दर्ज कार्य प्राक्कलन हेतु SECURE पर कार्य उपलब्ध होंगे, उपयंत्री द्वारा कार्य का प्राक्कलन

तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जा रही है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों के डिजीटल प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, जिससे कार्य में पारदर्शिता के साथ ही काम त्वरित हो रहा है।

मोबाईल मानीटरिंग सिस्टम :

- भारत सरकार द्वारा मस्टर रोल पर समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य के क्रियान्वयन के स्थान पर ही मजदूरों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जा सकती है एवं कार्य का जियो टैग फोटो भी लिया जा सकता है। मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया जा रहा है।

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति

सामाजिक अंकेक्षण

- म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति –

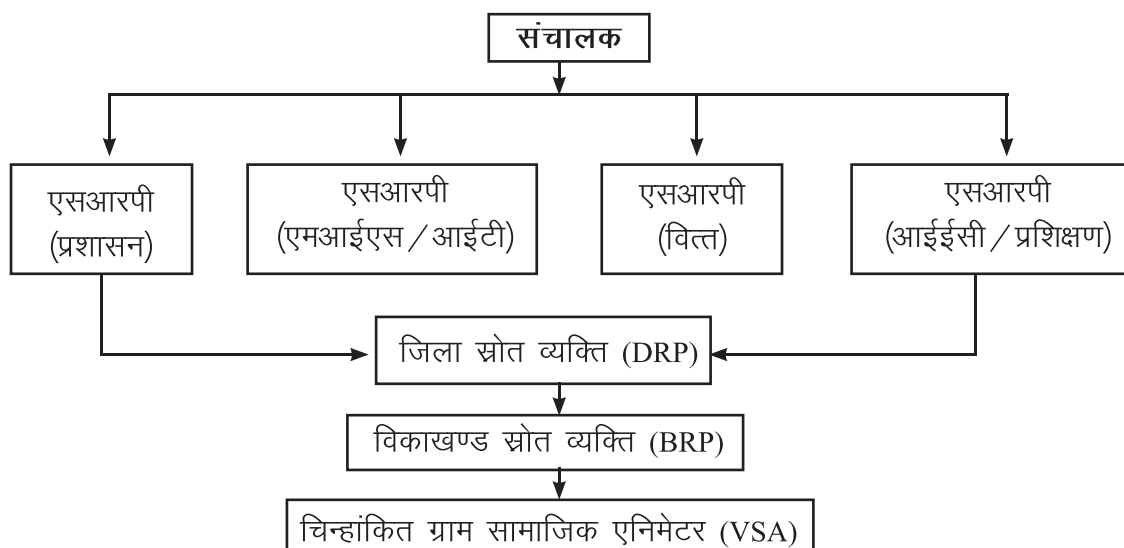
- ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के अनुपालन में मनरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रदेश में क्रियान्वयन विभाग से पृथक “म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (MPS-4)” का गठन दिनांक 02 जनवरी 2013 को म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत किया गया है।

- शासी निकाय (Governing Body) –

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के बिन्दु क्र. 10.1.2 अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण यूनिट (SAU) शासी निकाय के अधीन होगी, जो कि नियमित आधार पर यूनिट के निष्पादन की देख-रेख के लिए जवाबदेह होगी और यथा आवश्यक यूनिट के लिए नियम, सलाह और दिशा-निर्देश देगी। शासी निकाय की संरचना निम्नानुसार है :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग—विशेष आमंत्रित सदस्य।
3. प्रधान महालेखाकार सी एण्ड एजी/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग—सदस्य।
4. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य।
5. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा—विशेष आमंत्रित सदस्य।
6. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय—विशेष आमंत्रित सदस्य।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण—विशेष आमंत्रित सदस्य।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—विशेष आमंत्रित सदस्य।
9. संचालक, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन— विशेष आमंत्रित सदस्य।
10. संचालक, ग्रामीण रोजगार— विशेष आमंत्रित सदस्य।
11. राज्य समन्वयक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— विशेष आमंत्रित सदस्य।
12. संचालक, स्वच्छ भारत मिशन— विशेष आमंत्रित सदस्य।
13. संचालक, म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति— संयोजक।
14. सिविल सोसायटी संस्थानों के 05 सदस्य— सदस्य।
15. सलाहकार, सामाजिक अंकेक्षण एनआईआरडी, हैदराबाद— सदस्य।

• म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति की संरचना—



सामाजिक अंकेक्षण प्रगति—

- वर्ष 2022-23 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु लक्षित 22727 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध माह जनवरी 2023 तक 22679 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
- वर्ष 2022-23 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से 20859 मुद्दे (माह जनवरी 2023 तक) प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त मुद्दों में से 4683 मुद्दे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निराकृत किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान राशि रु. 6,98,94,740 (एमआईएस अनुसार) का दुरुपयोग होना पाया गया, जिसमें से राशि रु. 1,95,52,701 (एमआईएस अनुसार) की वसूली संबंधित जिला पंचायत द्वारा की गई है।

बढ़ते कदम (टेस्ट ऑडिट)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के परिपालन में सामाजिक अंकेक्षण की पारदर्शिता एवं जवाबदेही की सुनिश्चितता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में जनपद पंचायत जतारा, पलेरा, टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतों में टेस्ट ऑडिट दिनांक 09 से 13 जनवरी 2023 तक सम्पन्न कराया गया।



जिला — टीकमगढ़ में सम्पन्न सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत टेस्ट ऑडिट की गतिविधि

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

परिदृश्य—

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” की शुरुआत हुई। मिशन की गतिविधियों के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।
- मिशन सभी जिलों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिशन का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन के समन्वयक, राज्य कार्यक्रम अधिकारी है। जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर, मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सचिव है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 का उद्देश्य—

- वर्ष 2020-21 से योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समयावधि वर्ष 2020-25, में प्रदेश के सभी ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें सभी घरों/संस्थाओं से गीला एवं प्लास्टिक सहित सूखा कचरा संग्रहित किया जायेगा। जैविक ठोस अपशिष्ट (गीला कचरा) को ग्राम स्तर पर प्रबन्धित किया जाएगा।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई (PWMU) स्थापित होगी, जो नियमित अंतराल पर ग्रामों में एकत्र प्लास्टिक सहित अजैविक ठोस अपशिष्ट का उठाव कर इसे प्रसंस्त/प्रबन्धित करेगी।
- प्रचुर मात्रा में गोबर उत्पन्नकर्ता स्थानों के लिए बायो-मीथेन संयंत्र द्वारा उर्जा उत्पादन का कार्य गोबरधन स्कीम से किया जायेगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय-संसाधन एस.बी.एम. (ग्रा.), 15वाँ वित्त-आयोग निधि की आबद्ध राशि, मनरेगा, पंचायत निधि से उपलब्ध होगा।
- घरेलू कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देकर गीले कचरे का स्रोत पर प्रबंधन करना एवं बड़े ग्रामों में कचरे का कलेक्शन/सेग्रीगेशन/डिस्पोजल का कार्य महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाना।
- ग्राम स्तर तथा ब्लॉक/जिला स्तर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना एवं परिचालन में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं तथा महिला स्व-सहायता समूहों की संलग्नता को सुनिश्चित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम समुदाय की सहभागिता के लिए सतत सूचना-शिक्षा-संचार की गतिविधिया होंगी तथा सभी हितभागियों के क्षमता-वर्धन हेतु संस्थागत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

मुख्य घटक—

I. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग—

- भारत शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के उपरांत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 दिये जाने का प्रावधान है।
- स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

- प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं—
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - महिला मुखिया परिवार

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण —

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेस-2 अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त स्थिति के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिये 100 या 100 से अधिक घरों वाले ग्राम के ऐसे स्थानों जहाँ एससी/एसटी आबादी/गरीब बस्ती/प्रवासी/फ्लोटिंग जनसंख्या है, वहाँ आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
- स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए न्यूनतम लागत रुपये 3.00 लाख निर्धारित है जिसमें 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) मद से तथा 30% राशि 15वें वित्त से लिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतें ग्राम में उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रसाधन की संरचनाएँ निर्मित किये जाने हेतु अन्य स्रोतों से भी राशि सहयोजन कर सकती है।

III. ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन —

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेस-2 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2020-25 तक ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता के स्थायित्व में योगदान देना है। इस हेतु मिशन अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक ईकाइयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

IV. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाइयों का निर्माण —

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना के लिये एक ब्लॉक के लिये निर्धारित वित्त पोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो तो दूसरे ब्लॉक में उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) को 01 से अधिक जनपद के लिये क्लस्टर मोड में स्थापित किया जा सकता है। जो कि संबंधित ब्लॉक में उपलब्ध फण्ड के आधार पर किया जा सकेगा।

V. गोबरधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन—

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत उर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट का उपयोग कर बायोगैस एवं खाद निर्मित करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक जिले में गोबरधन की आदर्श परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

VI. आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन –

- आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय स्तर पर स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत बदलाव लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय द्वारा पारिवारिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (SLWM) की मांग सृजित करने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियां की जाती हैं।
- SBMG चरण-2 का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण किया जाना नहीं है बल्कि ग्रामों को ODF प्लस बनाये जाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा निर्मित किये जाने तथा स्वच्छता के बेहतर विकल्प अपनाने के लिये समुदाय के व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा सूचना और संचार (IEC) की गतिविधियाँ किया जाना है ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।
- योजना अंतर्गत निर्मित की गई कुल परियोजना लागत के 3% का उपयोग IEC/BCC पर किये जाने का प्रावधान है।
- क्षमतावर्द्धन से तात्पर्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला/ब्लाक/ग्राम स्तरीय अमले, स्वच्छाग्रहियों एवं त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों को योजना के घटकों से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

नवाचार/पहल–

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 में ग्रामों में होने वाले घर-घर कचरा संग्रहण एवं कचरा परिवहन की ऑनलाईन समीक्षा हेतु मोबाईल एप का निर्माण किया गया।
- ग्रामों में Singel Used Plastic एवं अन्य प्लास्टिक उत्पादों के अपशिष्ट प्रबंधन को आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने के लिये ग्रामों में होने वाले जटिल कचरे को परिवर्तित कर ग्रामीण सड़क मार्ग निर्मित करने हेतु ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से अभिसरण किया गया है।
- स्वच्छाग्रहियों की संलग्नता हेतु योजना एवं SOP जारी किया गया। स्वच्छाग्रहियों की क्षमतावर्द्धन हेतु स्वच्छाग्रही बुकलेट फेज-2 के घटक अनुसार स्वच्छता रथ प्रोटोटाइप डिजाइन एवं स्वच्छता चैम्पियन के लिये प्रमाण-पत्र एवं निगरानी समिति के बैजेज साथ ही स्वच्छाग्रहियों के प्रमाण-पत्र की डिजाइन तैयार कर रोलआउट किया गया COVID-19 संबंधित अपेक्षित अनुकूल व्यवहार संबंधित संचार किट तैयार कर रोल आउट किया गया।
- YouTube पर प्रशिक्षण सामग्री के वीडियो एकजाई कर एक प्लेटफार्म के रूप में उपयोग करते हुए लॉच किया गया। इसके अलावा कचरे से कलात्मक के आधार पर जिला उज्जैन द्वारा सेल्फी पार्क जिला छिंदवाड़ा द्वारा कंचन वाटिका आदि जैसे कचरे की सामग्री से बनने वाले कलात्मक वस्तुओं का सौंदर्यीकरण कर पुनः उपयोग में लिया जाकर नवाचार जैसे कार्य किये गये।

बजट प्रावधान –

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के प्रमुख घटक घरेलू स्वच्छ शौचालय निर्माण, प्रत्येक ग्राम में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हैं। फेस-2 के प्रमुख घटक एवं बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

घटक	SBM मद से प्रावधानित राशि		स्तर
	5,000 से कम जनसंख्या	5,000 से अधिक जनसंख्या	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)	60 रु./व्यक्ति	45 रु./व्यक्ति	ग्राम स्तर
तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)	280 रु./व्यक्ति	280 रु./व्यक्ति	
जल स्थिरीकरण तालाब (WSP)	प्रावधान नहीं	660 रु./व्यक्ति	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	पात्र हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12000 का प्रोत्साहन।		हितग्राही
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	रु. 3.00 लाख/सी.एस.सी. (70% एस.बी.एम. से एवं 30% 15वें वित्त आयोग से)		ग्राम पंचायत
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	रु. 16.00 लाख प्रति ब्लॉक		ब्लॉक / जिला स्तर
गोबर्धन मॉडल प्रोजेक्ट	रु. 50.00 लाख प्रति जिला		जिला स्तर

वर्ष 2022-23 में 20 जनवरी 2023 तक की प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

- प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में प्रथम तथा प्रदेश के 02 जिलों भोपाल एवं इंदौर को क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भी भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें एवं जिला राष्ट्रीय स्तर पर पुरुस्कृत होंगी।
- ग्रामों में खुले में शौच मुक्ति की निरन्तरता के लिये वर्ष 2022-23 में कुल 116348 शौचालय निर्मित किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2022-23 में सामुदायिक स्वच्छता परिसर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 4141 में से 2884 का निर्माण कराया गया है।
- वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 15890 ग्रामों का चयन ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया गया है कुल 8298 कचरा वाहन क्रय किये गये हैं तथा 6506 सेग्रीगेशन शेड निर्मित किये गये साथ ही ठोस गीले कचरे के निष्पादन हेतु 55021 सामुदायिक कम्पोस्ट पिट निर्मित किये गये हैं तथा इस SBM(G) मद में राशि रुपये 7915.00 लाख का व्यय किया गया।
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 65369 सामुदायिक सोकपिट एवं 37635 घरेलू सोक पिट निर्मित किये गये हैं तथा सामुदायिक स्तर के कार्यों पर SBM(G) मद से राशि रुपये 8794.16 लाख का व्यय किया गया है।
- 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ग्रे वाटर प्रबंधन की वृहद अधो-संरचनाओं जैसे जल
- जल स्थिरीकरण तालाब, DEWATS (विकेन्द्रित जल अपशिष्ट प्रणाली) इत्यादि का निर्माण किया गया है।
- अब तक 18594 ग्रामों को पूर्ण रूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधित, 25872 ग्रामों को पूर्ण रूप तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं 26435 ग्रामों को ODF प्लस घोषित किया गया है।

- वर्ष 2022-23 में गोबरधन परियोजना अंतर्गत 52 कम्युनिटी एवं क्लस्टर स्तरीय बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। 19 जिलों में 43 कार्य पूर्ण एवं 33 कार्य प्रगतिरत है तथा 284 कार्यों के लिए स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण।
- तकनीकी एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का चयन किया गया, संस्था के मध्य अनुबंध की कार्यवाही की गई। मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा 08 जिला दमोह, विदिशा, रीवा, सतना, गुना, देवास, आगर मालवा एवं ग्वालियर में स्थल चयन किया जाकर डीपीआर निर्माण का कार्य पूर्ण
- जिला दमोह, सतना एवं रीवा में कार्य प्रारंभ किया गया।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत जिला/ब्लॉक में material recovery facility (MRF) की स्थापना किया जाना।
- जिला इन्दौर में 04 एवं भोपाल में 01 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी सेंटर (MRFC) निर्मित एवं जिसका संचालन जिलों के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं चिन्हित तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है।
- चयनित जिलों में FSTP (Fecal Sludge Treatment plant) का निर्माण, इंदौर की ग्राम पंचायत कालिबिल्लोद में 3 KLD का राशि रु. 32 लाख से ग्रामीण FSTP (मल कीचड़ प्रबंधन इकाई) निर्मित एवं वाटरएड द्वारा संचालित (ग्रामीण क्षेत्र में देश का पहला FSTP)
- जिला बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, सीधी एवं रीवा के तकनीकी अमले का दो दिवसीय प्रशिक्षण वाटरएड संस्था के सहयोग से जिला इन्दौर में संपन्न।



स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ODF+ की अच्छी पद्धतियाँ विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन



ओडीएफ प्लस गांवों में दीवाल लेखन एवं संकेतक बोर्ड



सामुदायिक स्तर पर संग्रहित कचरे का पृथक्करण, जिला सीहोर



गीले एवं सूखे कचरे का दैनिक मात्रा गणना करते हुये



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला सागर



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, जिला टीकमगढ़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

परिचय

सड़कें विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण यंत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है। अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

- **योजनांतर्गत गठित सभा/सशक्त समितियों की जानकारी**

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है:—

प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियां

1. साधारण सभा— सभापति – माननीय मुख्यमंत्री – सदस्य सचिव – विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अधिकार संपन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करते हुए उन्हे आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- ii. कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना तथा उनमें संशोधन।

2. कार्यकारिणी समिति— सभापति—माननीय विभागीय मंत्री –सदस्य सचिव –विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय।
- ii. प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का अनुमोदन।

3. साधिकार समिति— सभापति – मुख्य सचिव म.प्र.शासन।

अधिकार

- i. इस समिति को मंत्री-परिषद के अधिकार प्रदत्त हैं।
- ii. समन्वय एवं मंत्री-परिषद को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
- iii. प्राधिकरण के कार्यों का सुचारु संपादन के लिए अन्य विभागों के समन्वय के संबंध में निर्णय।

योजना का उद्देश्य

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (all weather road) पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सतत कराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र :- इस योजना का कार्यक्षेत्र पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

मानव संसाधन संरचना :- संलग्न प्रपत्र 1 अनुसार ।

विशेषताएं

- कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5/10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी/नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
- PMGSY-III योजना के अंतर्गत उन्नयन लिए मार्गों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित है। विद्यमान समस्त मार्गों एवं ग्रामों का जी.आई.एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाओं में पहुंचने हेतु मार्गों की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रैसमैप से मार्गों की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य (Utility Value) के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची (CUCPL) से वरीयता के क्रम पर मार्गों के उन्नयन के हेतु आवंटन के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रगतिरत है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु 22649 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18928 मार्गों जिनकी लम्बाई 72927 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 619 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है, जिससे 17522 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।
- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक 23 किमी. लम्बाई, के 35 मार्गों एवं 17 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 64 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 08 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-2

- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश को 4984 किमी लंबाई के मार्गों के

उन्नयन की तथा 245 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 4884 किमी लंबाई के 368 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, साथ ही 235 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये राशि रु. 3170 करोड़ व्यय की गई है।

- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक 2 मार्ग जिनकी लंबाई 2.15 किमी. है, निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 9 वृहद पुलों का भी निर्माण किया गया है एवं रु. 11.98 करोड़ की राशि व्यय की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-3

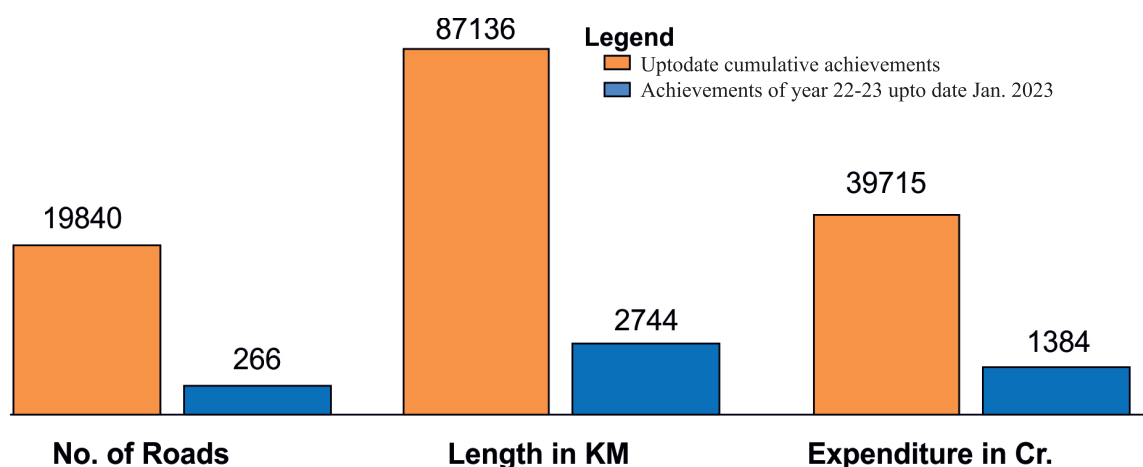
- योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना है। भारत सरकार से प्रदेश को 12362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार 1077 मार्गों, लंबाई 12364 किमी तथा 606 पुलों हेतु रु. 8938.15 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- योजना प्रारंभ से अद्यतन स्थिति तक 9276 किमी लंबाई के 541 मार्गों एवं 180 वृहद पुलों का कार्य पूर्ण करते हुये राशि रुपये 4800 करोड़ व्यय की गई। भारत सरकार द्वारा योजना की अवधि वर्ष 2025 तक निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक 2419 किमी के 229 मार्ग एवं 75 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा राशि रु. 1139.10 करोड़ व्यय की गई।

आरसीपीएलडब्ल्यूईए — Rural Connectivity Project of Left Wing Extremism affected

Areas (RCPLWEA)

- आरसीपीएलडब्ल्यूईए अन्तर्गत 346 किमी लंबाई के 37 मार्गों तथा 46 पुलों हेतु राशि रु. 490.25 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त। अद्यतन स्थिति में रु. 90.96 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 49 किमी. लम्बाई के 03 मार्गों का तथा 14 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है।
- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से माह जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक 01 किमी. लम्बाई, के 02 मार्गों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 05 करोड़ की राशि व्यय की गई।

Graphical presentation of PMGSY



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

- विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गों के नवीनीकरण हेतु 821 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 11731 कि.मी. के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंधित कार्यों में से अब तक 9871 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक 641 किमी. के कार्य तक पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

विशेष उपलब्धियां

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाईन प्रबंधन

- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 109407 कि.मी. लंबाई के मार्गों को स्वीकृति मिली है। इनमें से लगभग 88647 कि.मी. लंबाई के पूर्ण मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक बेब आधारित ऑनलाईन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (NIC) द्वारा GIS के अंतर्गत पृथक पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल से माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के Geo-Tagged फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण।
4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाईन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि का PFMS के माध्यम से ऑनलाईन बैंक खातों में हस्तांतरण।
7. SAMVEG पोर्टल के माध्यम से संधारण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी पोर्टल पर होने से संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach :-

Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, SQC को कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण

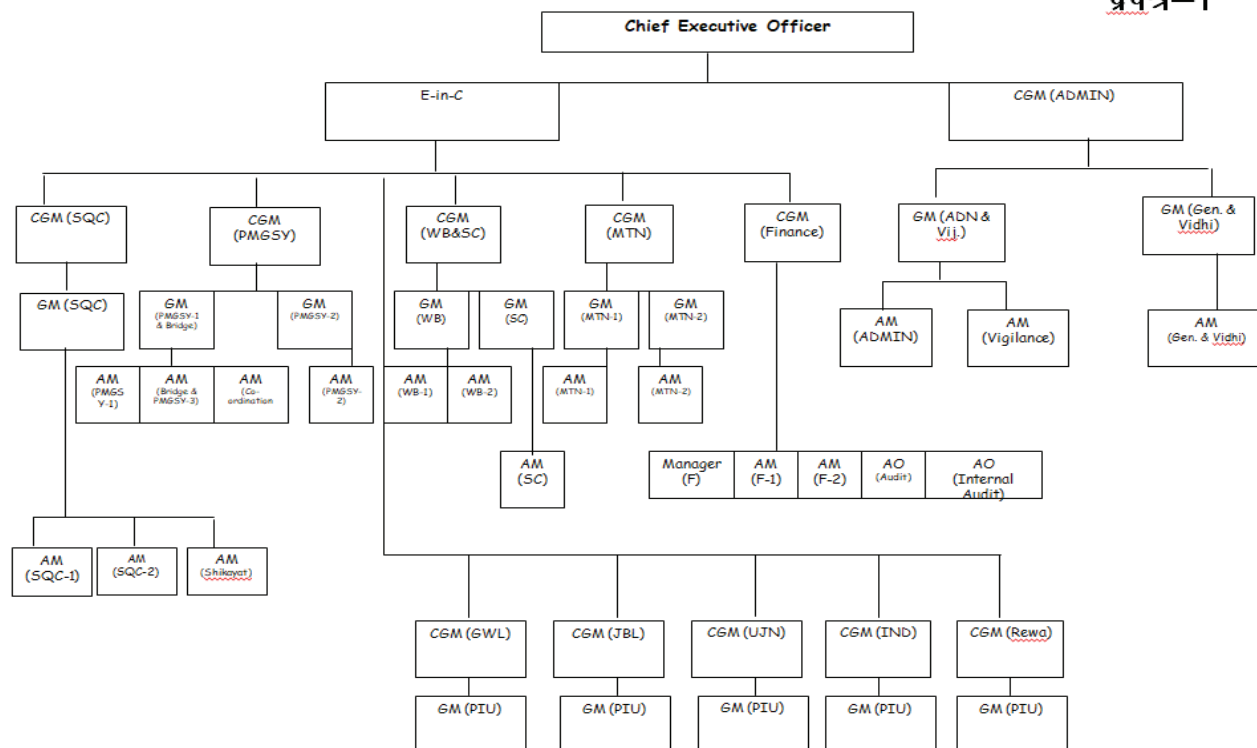
हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाईन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

नवाचार/पहल

- प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 6032 MT प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का प्रयोग करते हुए 12063 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में अद्यतन दिनांक तक प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर 684 किमी. मार्गों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।

Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, Bhopal Head office flow Chart

प्रपत्र-1



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



जिला बैतूल पैकेज क्र. एमपी 03702 रोड एनएच-69 बैतूल बाजार से बरवी-रावा



जिला टीकमगढ़ पैकेज क्र. एमपी 42बी 04 सपरार नदी पर ब्रिज

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



जिला सीहोर-टी-03 इटावा कलन, बासुदेव निमोटा से छापरी



जिला सीहोर-पैकेज क्र. एमपी 35 बी 09 सीप नदी पर ब्रिज

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रस्तावना

01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कराया जा चुका है इसके अतिरिक्त आवास प्लस के माध्यम से जोड़े गये 30.92 लाख हितग्राहियों के प्राथमिकता सूची तैयार कराई जाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिलाया जा रहा है।

- वित्त पोषण— भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- आवास की लागत—समतल क्षेत्र में 1,20,000 रुपये प्रति इकाई एवं आईएपी जिलों (अनुपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया) में 1,30,000 रुपये एवं मनरेगा मजदूरी 90/95 प्रति ईकाई है।

उद्देश्य :-

पीएमएवाई—जी के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रहे रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सब के लिये आवास 2024 के उद्देश्य को पूरा करने के लिये म.प्र. सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ से आज तक 32.04 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। आवास प्लस अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 7.51 लाख आवास का लक्ष्य भारत सरकार से निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 7.32 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर 3.84 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

समृद्ध पर्यावास के अंतर्गत हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं से अभिसरण (Convergence) कर अधिक से अधिक लाभ दिया जा रहा है।

भौतिक उपलब्धियाँ :-

1 अप्रैल 2022 को 6.20 लाख पूर्व वर्षों के अपूर्ण आवासों तथा आवास प्लस से प्राप्त लक्ष्य 7.51 लाख कुल 13.71 लाख में से दिनांक 15.01.23 तक 7.81 लाख आवास पूर्ण कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये लक्ष्य 11.47 लाख के विरुद्ध 11.29 लाख स्वीकृत किये जाकर 11.24 लाख हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी की गई है।

वित्तीय उपलब्धियाँ :-

योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त आवंटन राशि रुपये 43619.74 करोड़ रुपये राशि के विरुद्ध राशि रु. 30720.33 करोड़ का व्यय किया गया।

विशेष उपलब्धियाँ :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों

में से एक रहा है।

- राजमिस्त्री प्रशिक्षण अंतर्गत 9000 महिला प्रशिक्षुओं को भी राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में 10000 राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 7552 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शेष 2448 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नवाचार –

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राज्य के समस्त लाभान्वित हितग्राही जिन्हें आवास का लाभ दिया जा चुका है उन सभी को केन्द्र व राज्य स्तर से संचालित लगभग सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

अभ्युदय नवाचार –

अभ्युदय नवाचार अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें/ग्राम जहां सामान्यतः 100 से अधिक आवास प्रगतिरत हैं का चिन्हांकन किया जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के अंतर्गत सामुदायिक, व्यक्तिगत अधोसंरचना का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुदृढ़ीकरण व अन्य विविध योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सफलता की कहानी

तस्वीर बदल गई

पंकज पिता गंगाराम ग्राम पंचायत तिरला, जिला धार में निवासरत है। जाति पिछड़ा वर्ग, उम्र 40 वर्ष। पंकज एक गरीब परिवार में जन्में, इनके परिवार में पत्नी एवं 02 बच्चे रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था।



पुराना आवास

पंकज अपना घर परिवार चलाने के लिए एक चाय की छोटी सी दुकान से अपने परिवार का गुजारा करते हैं।



पंकज के परिवार में पत्नी ग्रहणी है एवं बड़ा बालक 12 वर्ष एवं छोटा बालक 10 वर्ष का है। स्कूल में अध्ययनरत है पंकज अपनी चाय की दुकान से अपनी आय कर परिवार का भरण पोषण के साथ-साथ अपना घर बनाने हेतु प्रतिमाह 1000-2000 रुपये की बचत करने लगा। पंकज का नाम आवास प्लस सूची में होने से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उनके पास जाकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास की स्वीकृति हेतु आपका नम्बर आ गया है, आपको पक्का आवास बनाना है। पंकज और उनके परिवार के सदस्य यह सुनकर बहुत खुश हुए, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पंकज ने तुरंत अपने समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा कराकर अपना पंजीयन करवाया और अपना आवास वर्ष 2021-22 में स्वीकृत करवाया।

पंकज के परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पक्के घर बनने का सपना कभी पूरा होगा, किन्तु यह सब कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से पक्का घर बनाने का सपना साकार हुआ।

अपना पक्का घर बनने से समाज में अपनी साख बढ़ने पर देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं एवं पूरा परिवार उनका आभार मानता है।



मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

परिचय :

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) वर्ष 2012 से संचालित है, जो कि वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य :

गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी निर्धनता कम करना एवं आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाया जाना।

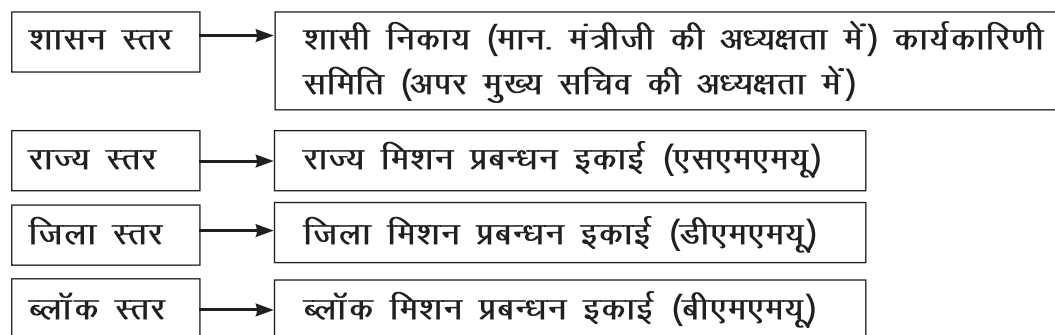
पात्रता :

सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 के अनुसार लक्षित परिवार।

कार्यक्षेत्र :

प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना :



- **राज्य स्तर** : मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 22 स्वीकृत पद हैं जिसमें 18 पद भरे हुए हैं।
- **जिला स्तर** : जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के 391 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 282 पद भरे हुए हैं।
- **विकासखण्ड स्तर** : मिशन में विकासखण्ड स्तर पर मैदानी अमले के 1565 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1408 पद भरे हुए हैं।

विशेषतायें:

सामुदायिक संस्थान गठन एवं विकास :

- महिला स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है। गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखते हों एवं गरीबी से बाहर आने हेतु संगठित होकर प्रयास करना चाहते हों। स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व सहायता समूह भागीदारी करते हैं एवं समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम संगठन भागीदारी करते हैं।

वित्तीय समावेशन :

- चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया जाता है।

आजीविका :

- समूहों को शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय/अभिसरण कर पात्रतानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। समूह सदस्यों को कृषि, पशुपालन, गैर कृषि आधारित एवं विभिन्न प्रकार की अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार :

ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत :-

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन।
- आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

उपलब्धि वर्ष 2022-23 (अद्यतन स्थिति 15 जनवरी, 2023 की स्थिति में)

- 5 लाख 80 हजार परिवारों की महिला सदस्यों को 57996 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 3,334 ग्राम संगठन एवं 83 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- 27,171 स्व-सहायता समूहों को रु. 49.53 करोड़ की चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) एवं 10,618 समूहों को रु. 78.12 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) प्रदाय की गई है।
- प्रदेश में 96,450 समूहों को रु. 1452.41 करोड़ का बैंक ऋण दिलाया गया है।

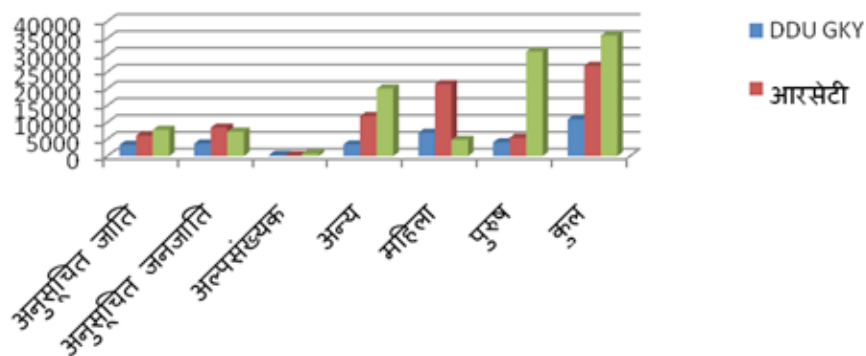


- रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 73,705 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई.एवं आरसेटी के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या) :

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022-23 रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम



मुख्य आजीविका गतिविधियां वर्ष 2022-23 (अद्यतन स्थिति 15 जनवरी, 2023 की स्थिति में)

- 4 लाख 50 हजार परिवारों को कृषि तथा पशुपालन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- 14,850 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।



व्यवसायिक सब्जी उत्पादन

- गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम कार्यों यथा सेनेटरी नैपकिन, सिलाई, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, हाथकरघा इत्यादि से जुड़कर 33,702 स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।



सूक्ष्म उद्यम गतिविधि

2 लाख 70 हजार आजीविका पोषण वाटिका' (Nutrition Garden) तैयार की गई हैं।



आजीविका पोषण वाटिका

विशेष उपलब्धियां एवं नवाचार :

- रबी एवं खरीफ उपाजर्जन वर्ष 2022-23 में एनआरएलएम के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा 52.76 लाख क्विंटल तथा खरीफ वर्ष 2022-23 में 78.60 लाख क्विंटल का उपाजर्जन किया गया, जिससे उपाजर्जन कार्य में महिलाओं की भागीदारी हुई है तथा उन्हें आय के स्रोत प्राप्त हुए हैं।
- लोक अधिकार केंद्र विकासखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तथा वंचित वर्ग के लोगों की स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज संस्थाओं तक पहुँच बढ़ाने एवं उनके हक – अधिकार प्राप्त करने के लिए उन संस्थाओं के साथ पैरवी करने की सामाजिक व्यवस्था है। वर्तमान में 18 जिलों में 19 लोक अधिकार केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं।
- 8 जिलों के 14 विकासखंडों तथा समस्त एन.आर.एल.एम. एवं एन.आर.ई.टी.पी. मॉडल सी.एल.एफ. में FNHW सघन गतिविधियों को आरम्भ किया गया है।

- वित्त वर्ष 2022–23 में लगभग 64 लाख 56 हजार मुनगा के पौधे रोपित किये गये हैं।
- 25 जिलों में पोषण वॉल/कार्नर तैयार किये गये।
- माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस (17.9.2022) के उपलक्ष्य पर प्रदेश में 17.01 लाख फलदार एवं मुनगा के पौधे समूह सदस्यों द्वारा रोपित किये गये।
- HPCL द्वारा मध्य प्रदेश के चार जिलों (मंडला, राजगढ़, खंडवा, बड़वानी) के समस्त CLF में उज्जवला योजना अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है। योजना अंतर्गत फेस-1 हेतु 5 जिलों (मण्डला, राजगढ़, खण्डवा, बड़वानी एवं उमरिया) में कुल 171 उज्जवला दीदीयों का चयन किया जा चुका है।
- 22 नवीन किसान उत्पादक कंपनियों को राशि रु. 106.25 लाख की इक्विटी ग्रांट फंड भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।
- जैविक पंजीयन के अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर 1972 लोकल ग्रुप का पंजीयन कराया गया है। उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 52.76 लाख क्विंटल गेहूं, चना, सरसों एवं मूंग का उपार्जन स्व-सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों के माध्यम से किया गया है।
- मिशन अंतर्गत स्व -सहायता समूह, तथा उनके परिसंघों को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर जेण्डर आधारित भेद-भावों को चिन्हित कर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिलाओं का आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण हो सके। महिलाओं की समस्याओं के निदान में सहयोग के लिये लोक अधिकार केन्द्र एवं नारी अधिकार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन तथा पंचायतीराज संस्थाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने, उनके हक, अधिकार प्राप्त करने में सहायता की जा रही है। प्रदेश के 18 जिलों में 19 लोक अधिकार केन्द्र, 19 विकासखण्डों में संचालित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार सीएलएफ स्तर पर 42 नारी अधिकार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।



- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15 जनवरी 2023 तक एनआरएलएम हेतु प्रावधानित राशि रु. 865 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 203.52 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध राशि रुपये 210 करोड़ का व्यय हुआ है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना :

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य ग्रामीण पथ विक्रेताओं को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी प्रदत्त करना है। इसके अंतर्गत हितग्राही को रु. 10,000 तक का बैंक से ब्याज मुक्त ऋण एवं नियमित ऋण अदायगी पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान की बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 15,291 ग्रामीण पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं।



सिलाई केन्द्र



ग्राम संगठन स्तरीय उज्ज्वला गैस वितरण



जिला गुना में गणतंत्र दिवस समारोह में समूह सदस्य श्रीमती चंदा बैरागी बैंक सखी को बैंक के साथ सहायनीय समन्वय के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए
माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



जिला गुना में स्व-सहायता समूह संवाद कार्यक्रम – समूह की बहनों के साथ माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सम्मेलन जिला गुना में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बैंक लिंकेज का चेक प्रदाय करते हुए माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास

परिचय :

- वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-2022 से “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2.0 WDC – PMKSY-2.0) प्रारंभ की गई है।
- 20 जनवरी 2022 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (WDC – PMKSY - 2.0) के तहत 36 जिलों में 82 नवीन वाटरशेड विकास की परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आगामी 4 वर्ष की अवधि में रुपये 1088.274 करोड़ की लागत से 94670.00 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।

उद्देश्य :

- योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्षा आधारित क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता से कृषि की आर्थिक विकास दर में गति लाना है।
- प्राकृतिक संसाधनों के संवहनीय प्रबन्धन व उपयोग से फसल उत्पादकता में वृद्धि कर ग्रामीणों की औसत आय में वृद्धि करना।
- वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना।
- निर्मित जल संरचनाओं से जल का वितरण एवं प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने की क्षमता विकसित करना ताकि संचित जल का दक्षतापूर्ण उपयोग हो।
- ग्राम स्तरीय संगठनों एवं फसल उत्पादक संगठनों को गठित कर एवं उन्हें क्रियाशील बनाया जाकर उत्पादन आदानों की पहुंच को सहज बनाना एवं उत्पादों के विपणन हेतु बेहतर बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि।

विशेषताएं :

प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण खेती कम उत्पाद का व्यवसाय होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा फसल सुरक्षा सिंचाई से और खेती संबंधी यथोचित आदानों एवं प्रौद्योगिकी के प्रदाय से खेती से होने वाली आय बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई सामर्थ्य विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और इस प्रकार अपेक्षित ग्रामीण समृद्धता के लिए उपयोगी योजना है। योजना की रणनीति जन सहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संचालन, संसाधनहीन एवं गरीब ग्रामीणों के स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र व वित्तीय स्रोत :

योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्डर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं अमृत सरोवर आदि का निर्माण
- भू-जल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुआं/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण
- वनीकरण, उद्यानिकी वृक्षारोपण, सब्जी उत्पादन, फसल विविधीकरण, फसल उत्पादकता वृद्धि एवं कृषक आय में वृद्धि हेतु कार्यकलापों का क्रियान्वयन
- संसाधनहीन एवं गरीब ग्रामीणों के आजीविका उन्नयन हेतु समान व्यवसाय से संबंधित स्वसहायता समूहों को वैकल्पिक व्यवसाय/आजीविका साधन उपलब्ध कराना

वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

- 1 अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी 2023 तक कुल व्यय राशि रुपये 220.86 करोड़ से 926 हेक्टेयर में कन्टूर ट्रेंच, 347 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर वनीकरण, 885 हेक्टेयर निजी भूमि पर उद्यानिकी वृक्षारोपण, 1065 गेबियन संरचना, 110 परकोलेशन टैंक, 178 चेकडेम, 1060 फार्मपाण्ड, 139 अमृत सरोवर, 119 अन्य तालाब एवं 58 भूजल रिचार्ज शाफ्ट सहित कुल 2730 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उक्त संरचनाओं से कुल 6866.00 हेक्टेयर सिंचाई सामर्थ्य विकसित हुई, जिससे 16261 कृषक परिवार लाभान्वित हुए हैं।



गेबियन संरचना



कंटूर ट्रेंच



अमृत सरोवर तालाब



खेत तालाब

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है स्वशासी संस्था म0प्र0 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मुख्य उद्देश्य के तहत शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करना तथा शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2017 से एमडीएम पोर्टल का निर्माण कर पोर्टल के माध्यम से खाना पकाने की लागत राशि स्व-सहायता समूहों एवं रसोइयों के मानदेय का भुगतान भी उनके बैंक खातों में सीधे राज्य स्तर से प्रदाय किया जा रहा है।

प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई है।	(प्राथमिक शाला के लिए कच्चा खाद्यान्न)।
गर्म पका हुआ भोजन	जनवरी, 2004 से (केवल प्राथमिक शाला)
पिछड़े शैक्षणिक विकासखण्डों में प्रारम्भ समस्त	अक्टूबर, 2007 (माध्यमिक शाला)
माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का विस्तार	वर्ष 2008 से।

राज्य स्तर से निम्नानुसार साप्ताहिक मेनू कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित है—

ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।
बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंगस/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

कार्यक्रम का लक्ष्य :-

प्रदेश की 1.11 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 71173 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.12 लाख रसोईयों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

नाम	शालाएं			विद्यार्थी		
मध्यप्रदेश	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
	80994	30763	111757	3299986	1966531	5266517

क्रमांक	शाला का स्तर	उर्जा का कैलोरी	प्रोटीन
1.	प्राथमिक	450	12-13 ग्राम
2.	माध्यमिक	700	20-21 ग्राम

भोजन के पोषण मानक-

संसाधन (दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील)

क्र	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1.	प्राथमिक	100 ग्राम	3.27	2.18	5.45
2.	माध्यमिक	150 ग्राम	4.90	3.27	8.17

1 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक के अनुसार लक्ष्य एवं प्रगति :-

(लाख में)

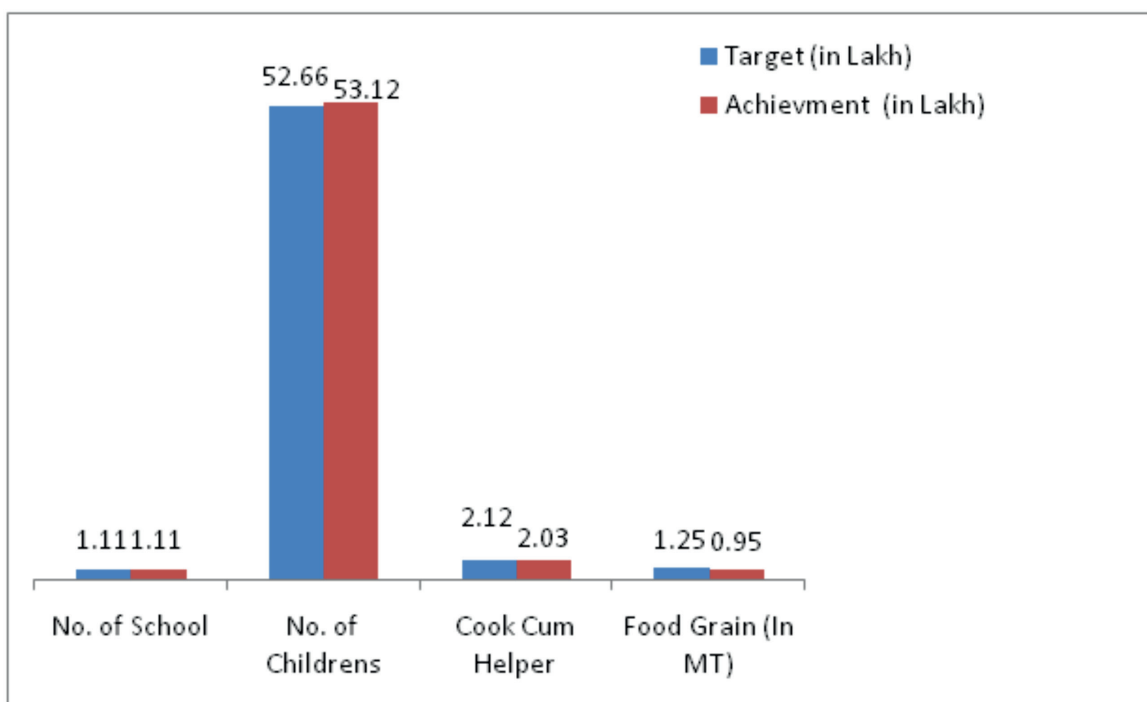
क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 15.01.2023 की स्थिति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवटन	जारी राशि
1	शालाओं की संख्या	1.11	00	1.11	1.11	00	00
2	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	52.66	00	52.66	53.12	00	00
3	रसोईयों की संख्या (लाख में)	2.12	00	2.12	2.03	00	00
4	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि (लाख में)	1.54 लाख एमटी	3442.45	1.25 लाख एमटी	0.95 लाख एमटी	1654.10	00
5	भोजन पकाने की लागत राशि	00	76697.42	00	00	41573.93	40409.19
6	रसोईयों का पारिश्रमिक	2.12	21241.80	2.12	2.03	2147.37	24301.68

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 15.01.2023 की स्थिति			
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	00	2315.54	00	00	1337.64	00
8	एमएमई की राशि	00	1741.64	00	00	1109.36	412.86
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (नवीन)	00	00	00	00	00	00
10	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (रिपयेरिंग)	00	00	00	00	00	00
11	बर्तन रिप्लेसमेंट	00	00	00	00	00	00
12	Flexible fund (Supplementary Nutrition)	00	5271.94	00	00	00	00

1 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति :-

(in lakhs)

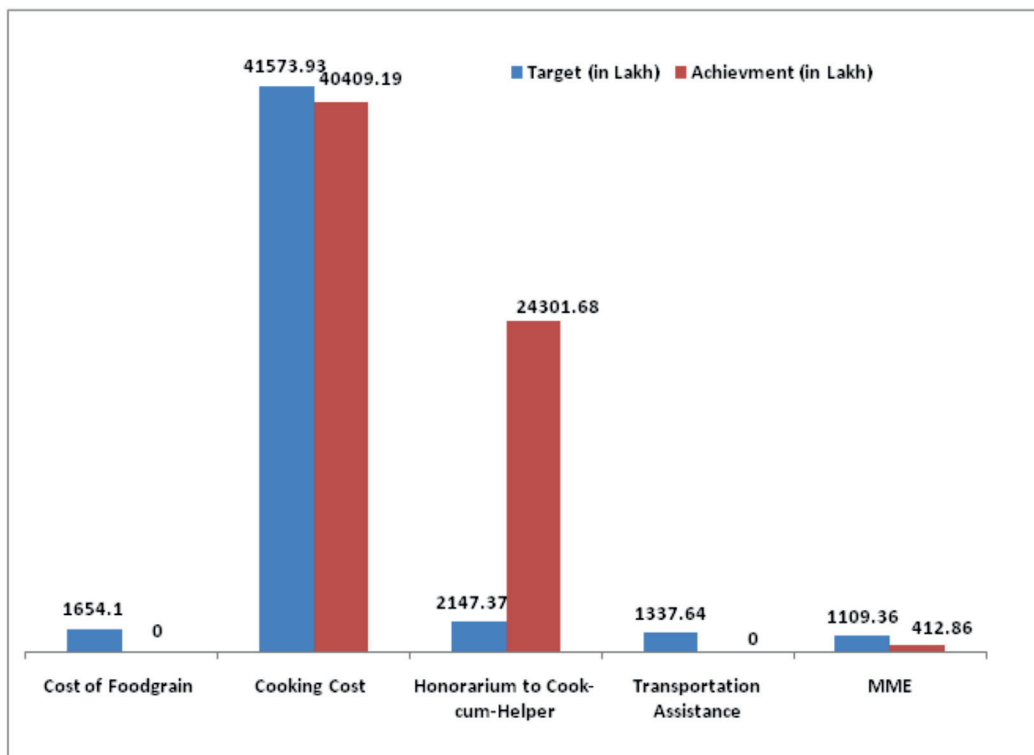
	Target	Achievment
No. of Schools	1.11	1.11
No. of Childrens	52.66	53.12
Cook Cum Helper	2.12	2.03
Food Grain	1.25 MT	0.95 MT



1 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति :-

(in lakhs)

	Target	Achievements
Cost of Foodgrain	1654.10	00
Cooking Cost	41573.93	40409.19
Honorarium to Cook-cum-Helper	2147.37	24301.68
Transportation Assistance	1337.64	00
MME	1109.36	412.86



कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार है :-

1. खाद्यान्न
2. खाद्यान्न की परिवहन राशि
3. भोजन पकाने की लागत राशि
4. रसोईयों का मानदेय
5. एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)
 - खाद्यान्न भारत सरकार से बीपीएल दरों पर चावल/गेहूं प्राप्त होता है।
 - खाद्यान्न की परिवहन राशि 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
 - रसोईयों को प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2018 से मानदेय रुपये 2000 उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है।

- कुल केन्द्रीय आवंटन का 2.7 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

योजना अंतर्गत किचिनशेड निर्माण — योजना अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक में 1919 किचिनशेड की मांग की गई है। भारत सरकार से राशि अपेक्षित है।

अभिनव प्रयास :

1. एल.पी.जी. गैस कनेक्शन व्यवस्था — प्रदेश के लगभग 1.11 लाख स्कूलों में 105766 शासकीय शालाओं में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं।
2. पुरस्कार की व्यवस्था — स्वच्छ किचिनशेड प्रतियोगिता के निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50000/- प्रथम 30,000/- द्वितीय व 20,000/- तृतीय पुरस्कार का प्रावधान हैं।
3. माँ की बगिया — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा माँ की बगिया तैयार किये जाने हेतु 1 अप्रैल 2022 से 15.01.2023 तक मनरेगा, कृषि विभाग, उद्यानिकी, स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र आदि के शतप्रतिशत अभिसरण से तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माँ की बगिया पूर्व वर्षों में किचन गार्डन के नाम से जानी जाती थी परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किचन गार्डन का नाम परिवर्तित कर माँ की बगिया किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में चिन्हित 22645 शाला परिसर में से स्वीकृत 20508 में से 18961 माँ की बगिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण में सुधार किये जाने हेतु बागवानी को बढ़ावा देने हेतु एवं पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु माँ की बगिया तैयार किये जाने का लक्ष्य लिया गया है। योजना में उपयोग होने वाली सब्जियों, फलों को शालाओं में तैयार किया जा रहा है। माँ की बगिया में विशेष रूप से फल एवं सब्जियों में मुनगा (सहजन), पपीता, नीबू, कटहल एवं अमरुद के साथ पालक, लौकी, भिंडी आदि लगाये जा रहे हैं।



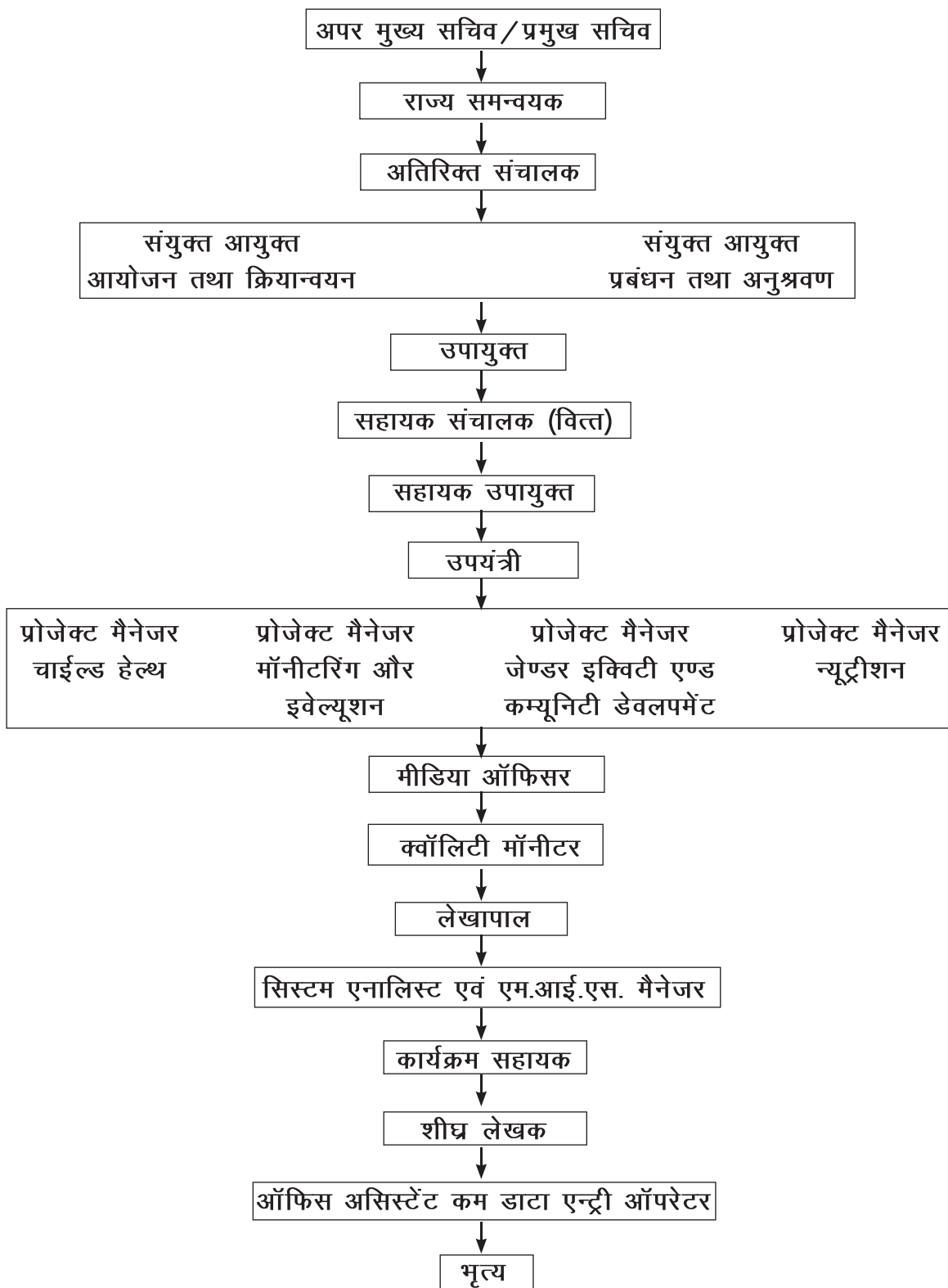
शासकीय माध्यमिक शाला पालातारा छिन्दवाड़ा



प्राथमिक शाला मोहपानी माँ की बगिया छिन्दवाड़ा

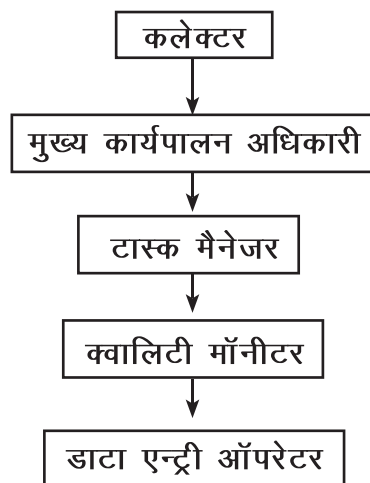
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की पदीय संरचना एवं स्थिति :-

जिला स्तर -



प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की पदीय संरचना एवं स्थिति :-

जिला स्तर -



तिथि भोज



आगर मालवा



खंडवा तिथि भोज में ईपीएस शाला
अम्बापाट विकासखंड पंधाना

पंडित नेहरू ई पी ई एस बानमोर मुरैना

विशेष भोज



जबलपुर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष भोज ग्रहण किया गया।



शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय विकास खण्ड बमोरी में माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के साथ विशेष भोज ग्रहण किया गया।



असाटी गांव में हुआ विशेष मध्याह्न भोजन



निवाड़ी. मध्याह्न भोजन करते मंत्री और कलक्टर।

निवाड़ी @ पत्रिका. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 74 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथियों द्वारा स्कूली बच्चों के साथ विशेष मध्याह्न भोजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत असाटी में आयोजित विशेष मध्याह्न भोजन में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओ पी एस भदौरिया, विधायक अनिल जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय, कलक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसपी टीके विद्यार्थी, जिला पंचायत सी डी ओ टीएन सिंह, अपर कलक्टर

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन

विजन : अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के संकुलो (क्लस्टरों) को रूरुन गांवों के रूप में विकसित करना।

मिशन का उद्देश्य :

- ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को कम करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रों में विकास कार्यों का व्यापक प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

रूरुन संकुल क्या है : रूरुन मिशन के अंतर्गत दो प्रकार के संकुल होंगे।

- गैर जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 25,000 से 50,000 हो।
- जनजातीय संकुल – जिनकी आबादी 5,000 से 15,000 हो।

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संकुल की समस्त ग्राम पंचायतों को एक ही जनपद में सम्मिलित किया जाता है।

रूरुन संकुल के चयन हेतु मापदंड :

गैर जनजातीय संकुल का चयन	जनजातीय संकुल का चयन
<ul style="list-style-type: none">• दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि।• भूमि की कीमतों में वृद्धि।• दशक के दौरान गैर-कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि।• माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि।• प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खातों वाले परिवारों का प्रतिशत।• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में निष्पादन।• ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई सुशासन की पहलें।	<ul style="list-style-type: none">• दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि।• जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि।• दशक के दौरान गैर-कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र : रूरुन मिशन अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 08 गैर जनजातीय) की 164 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों को निर्धारित मापदंडों अनुसार चयनित किया गया है जिसमें वर्तमान में 18 संकुलों में मिशन प्रगतिरत है।

मध्य प्रदेश में चयनित रुर्बन संकुल

प्रथम चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	भोपाल	फंदा	रातीबड	गैर जनजातीय	13
2	भोपाल	बैरसिया	गुनगा	गैर जनजातीय	13
3	इंदौर	इंदौर	नावदापंथ	गैर जनजातीय	07
4	इंदौर	महू	सिमरौल	गैर जनजातीय	05
5	छतरपुर	छतरपुर	अच्छट	गैर जनजातीय	12
6	सिवनी	सिवनी	कान्हीवाडा	जनजातीय	07
7	छिन्दवाडा	तामिया	देलाखाडी	जनजातीय	10
	कुल योग				67

द्वितीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	ग्वालियर	डबरा	चीमक	गैर जनजातीय	14
2	रीवा	हनुमना	गौरी	गैर जनजातीय	12
3	धार	धार	गुनावद	जनजातीय	14
4	झाबुआ	पेटलावाद	मोहनकोट	जनजातीय	09
5	बैतूल	शाहपुर	देशावाडी	जनजातीय	07
	कुल योग				58

तृतीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	संकुल	श्रेणी	ग्राम पंचायत
1	झाबुआ	मेघनगर	गुवाली	जनजातीय	05
2	खण्डवा	पंधाना	आरुद	जनजातीय	06
3	अनुपपुर	पुष्पराजगढ	किर्गी	जनजातीय	09
4	सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	जनजातीय	05
5	अलीराजपुर	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	जनजातीय	07
6	मण्डला	बिछिया	रामनगर	जनजातीय	07
कुल योग					39

मिशन के अंतर्गत वांछनीय घटक

क्र.	घटक	क्र.	घटक
1	कौशल विकास प्रशिक्षण	9	स्ट्रीट लाईट
2	कृषि सेवाएं एवं प्रसंस्करण	10	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
3	स्वास्थ्य	11	नागरिक सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना
4	विद्यालयों एवं शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन	12	गांवों के बीच सड़क संपर्क
5	24'7 पाईप द्वारा जलापूर्ति	13	ग्रामीण नालियां तथा गलियां का आवर्धन
6	सार्वजनिक परिवहन	14	एल.पी.जी गैस कनेक्शन
7	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	15	पर्यटन
8	डिजिटल साक्षरता		

रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कौशल विकास अंतर्गत फ्लोई ऐश ट्रेनिंग सेंटर, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा प्रसंस्करण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, विलेज स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना ई – ग्राम कनेक्टिविटी के लिए लोक सेवा केंद्र जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जाते हैं।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति :

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी शक्तियों के निर्धारण किये जाने हेतु राज्य स्तरीय साधिकार समिती का गठन किया गया है।

अन्य बिंदु

- राज्य कार्यालय के परिपत्र क्र. 12071/22/वि-15/एमपीएसपीएमआरएम/2021 दिनांक 30.09.2021 से जिलों को राज्य स्तर से प्रसारित होने वाले समस्त कार्यों के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।
- योजना अंतर्गत समस्त भुगतान भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की गई PFMS भुगतान प्रणाली से किये जा रहे हैं।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

- मिशन द्वारा आज दिनांक तक मिशन के वांछनीय घटकों में राशि रु. 199.77 करोड़ के कार्य स्वीकृत चुके हैं, होकर क्रियान्वित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक मिशन अंतर्गत राशि रु. 135 करोड़ की वित्तीय प्रगति मिशन द्वारा अर्जित की गई है।

भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में किया जाकर म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत किया गया था।

भोपाल हाट का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, स्वसहायता समूहों एवं स्वरोगारियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों का आयोजन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व-सहायता समूह भाग लेते हैं।

भोपाल हाट के प्रबंधन हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के सदस्य सचिव संचालक, ग्रामीण रोजगार होते हैं। जो की भोपाल हाट के प्रबंध संचालक, के पद पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्षता में कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया है।

भोपाल हाट अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 15.01.2023 स्थिति में विभिन्न अन्य विभागों के मेले आयोजित किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय	मेला आयोजित करने वाले विभाग का नाम
1	बिहार शिल्प मेला	25.08.2022 से 31.08.2022 (7 दिवस)	राष्ट्रीय	उपेन्द्र महारथी अनुसंधान संस्थान, डिपार्टमेन्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, बिहार, सरकार (पटना)
2	स्टेट हैण्डलूम एक्सपों	16.09.2022से 29.09.2022 तक (14 दिवस)	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल
3	खादी प्रदर्शनी	01.10.2022 से 12.10.2022 तक (12 दिवस)	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
4	उमंग प्रदर्शनी	14.10.2022 से 22.10.2022 तक (9 दिवस)	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय	नाबार्ड एम.पी. आर.ओ.भोपाल
5	सृजन मेला	01.11.2022 से 10.11.2022 तक (10 दिवस)	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल

6	स्टेट हैण्डलूम एक्सपों	09.12.2022 से 22.12.2022 तक (14 दिवस)	राष्ट्रीय / क्षेत्रीय	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल
7	गुड़ एवं तुअर दाल मेला	06.01.2023 से 08.01.2023 तक (03 दिवस)	क्षेत्रीय	किसान कल्याण कृषि विकास-नरसिंहपुर
8	खादी प्रदर्शनी	13.01.2023 से 23.01.2022 तक (11 दिवस)	राष्ट्रीय / क्षेत्रीय	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र. आधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है।

पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वाह करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव है।

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण, शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संस्थान के संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। संस्थान में संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय वर्ग के पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
(1) प्रशासनिक				
1	संचालक	1	1	0
2	अतिरिक्त संचालक	2	0	2
3	संयुक्त संचालक	1	1	0
4	उप संचालक	3	3	0
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	4	4	0
7	अधीक्षक	2	1	1
(2) प्रशिक्षण				
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग/मैनेजमेंट	2	1	1
9	अनुदेशक	2	0	2
10	अनुसंधान सहायक	2	1	1
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)	7	2	5
(3) सहयोगी कार्मिक				
12	लिपिक वर्गीय	20	8	12
13	अलिपिक वर्गीय	4	4	0
14	रसोईया/भृत्य/माली/दफ्तरी/ चौकीदार/फर्राश	30	15	15
15	वाहन चालक	3	3	0
16	सफाई कर्मी	4	2	2
योग		88	46	42

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

संस्थान वित्त पोषण :—

स्वायत्तशासी होने के उपरांत संस्थान को राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2022-23 में राज्य शासन द्वारा रुपये 250.03 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 22 तक रु. 168.52 लाख प्राप्त हुए हैं एवं वर्ष 2022-23 में माह दिसम्बर 22 तक कुल राशि रु. 337.33 लाख का व्यय हुआ। संस्थान के कोर संकाय सदस्यों की संविदा राशि की पूर्ति भारत शासन के आवर्ती मद के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान द्वारा भारत शासन को आवर्ती मद में रु. 445.57 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा प्रथम किश्त की प्राप्ति नहीं हुई है।

अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है, जिससे संस्थान के संधारण संबंधी अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र :-

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों — भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय, पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तारित है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है। इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं, जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव (छतरपुर) में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध है। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2022-23 में रुपये 500.00 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 22 तक राशि रु. 320.00 अनुदान प्राप्त हुआ है एवं वर्ष में प्राप्त अनुदान के विरुद्ध माह दिसम्बर 22 तक राशि रु. 496.75 लाख का व्यय हुआ। भारत शासन से आवर्तीमद में रु. 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है, जिसके विरुद्ध केवल ईटीसी इंदौर को राशि रु. 10.00 लाख हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है।

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

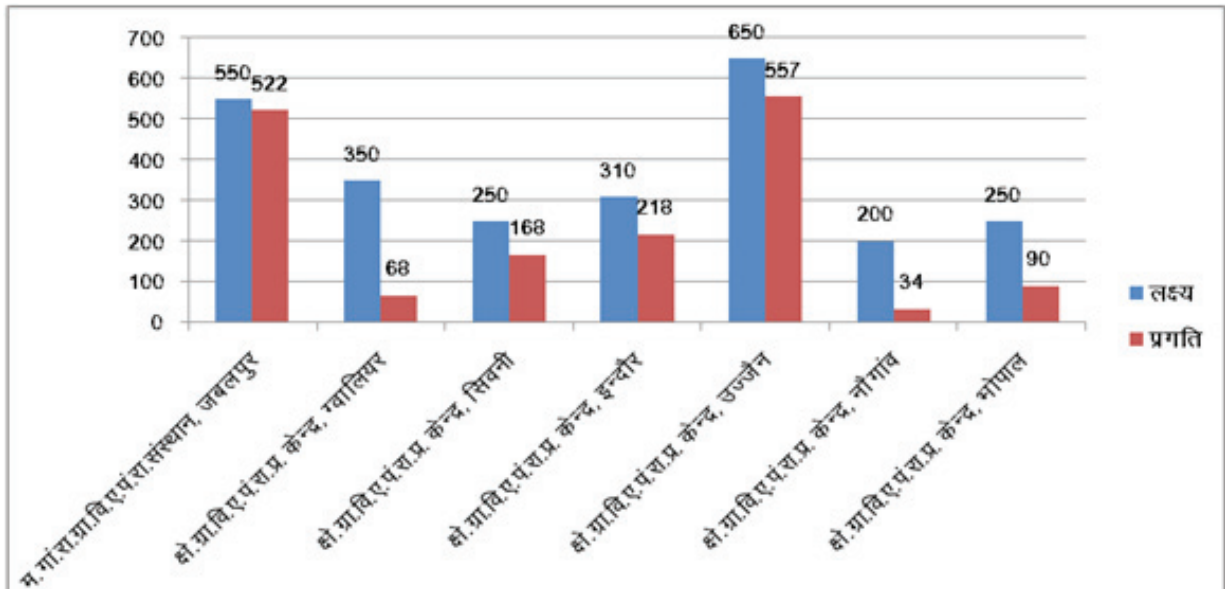
वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण :-

संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक 522 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 15435 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 1135 सत्र आयोजित कर 48934 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

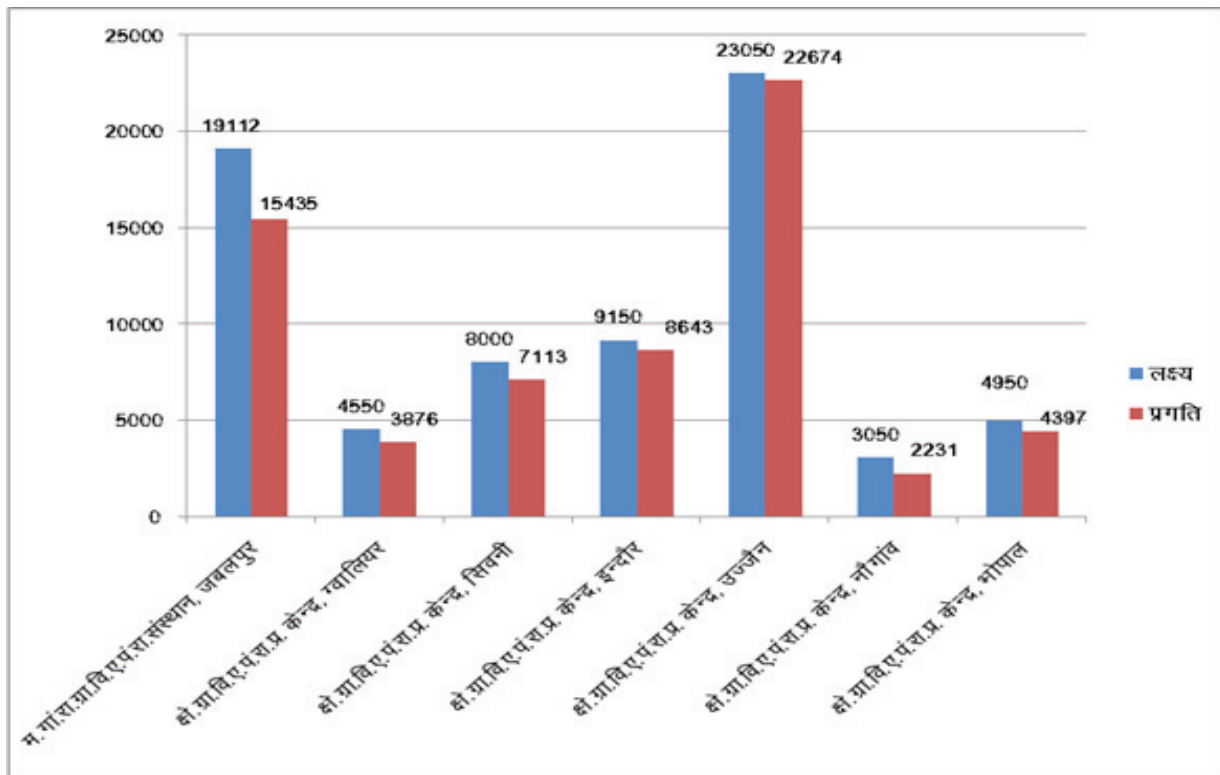
माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 (2022-23)

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
1	सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयों पर दिशाभिमुखीकरण एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	35	3	1	31	93
2	प्रधानमंत्री आवास योजना-अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण हेतु लीड ट्रेनर प्रशिक्षण	1	22	7	1	22	154
3	नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के मूलभूत प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (SLMT)	1	50	2	1	42	84
4	नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर (एम.आर.पी.) का प्रशिक्षण	3	120	3	3	98	294
5	नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण (जिला पंचायत सदस्य)	2	50	3	2	31	93
6	नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण (ज.पं. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)	2	114	3	3	76	228
7	नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का मूलभूत प्रशिक्षण (जनपद सदस्य)	15	1243	3	8	265	795
8	पी.आर.आई-एस.एच.जी कनवरजेन्स	7	350	1	7	360	360
9	जेन्डर संवेदनशीलता में पंचायतों की भूमिका	10	500	1	8	485	40
10	ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक विषय पर प्रशिक्षण	2	60	1	2	64	64
11	मंगल ग्राम विषय पर प्रशिक्षण	1	40	6	1	42	252
12	सायबर लिटरेसी एवं अवेयरनेस विषय पर एसएचजी सदस्यों का प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	192	6528	3	192	6478	19434
13	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	313	10000	45	293	7441	334845
योग		550	19112	—	522	15435	356736

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2022 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण



संस्थावार प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2022 तक प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागियों का विवरण



प्रयास का एक दशक :-

संस्थान अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग मार्गदर्शन एवं संरक्षण देकर सक्रिय बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिनके फलस्वरूप संस्थान की गतिविधियों में विस्तार एवं वृद्धि हुई है, वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं -

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10688	787	51498
2007-08	259	9658	1061	56952
2008-09	1580	99999	1022	50003
2009-10	2583	153861	1035	38184
2010-11	245	9211	1233	47045
2011-12	2184	299165	1194	57759
2012-13	5229	238020	1093	51771
2013-14	8927	371747	752	32199
2014-15	440	17083	301	13167
2015-16	249	7026	263	11024
2016-17	80	2479	425	15582
2017-18	360	10968	197	7262
2018-19	3626	164755	308	8330
2019-20	1976	94026	185	7539
2020-21	44	6690	296	15198
2021-22	169	9132	828	39777
2022-23	522	15435	1135	48934

शोध और अध्ययन :-

संस्थान एवं सभी 06 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ संकाय सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न विषयों क्रमशः स्व-सहायता समूह, पंचायतराज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, महिला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

मासिक पत्रिका “पहल” का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही साथ संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं से संबंधित जानकारियों का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

इस ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है, जिससे पंचायतराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं शासकीय सेवक भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य की परिकल्पना :-

संस्थान को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन में उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त हो रही है। संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर प्रेषित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम परिलक्षित भी हुए हैं, आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं प्रशिक्षण से जुड़े नवाचारों के आधार पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।



जनपद पंचायत अध्यक्षों का फील्ड पर प्रशिक्षण



जनपद पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल वर्ष 1985 से कलियासोत बांध के दाहिने किनारे पर 89 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें सुरम्य परिदृश्य में पहाड़ियों, ढलानों, मैदानों और पठारों के साथ वनस्पतियों और जीवों से हरे-भरे परिसर शामिल है। यह परिस्थितिक विकास और जैव विविधता का समर्थन करते हैं। विभिन्न उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों और जैव विविधता संबंधी चिन्ताओं को दूर करने के लिए वाल्मी, भोपाल ने विशेष रूप से हाल के दिनों में वैज्ञानिक और नवीन दृष्टिकोणों के आधार पर विभिन्न जल एवं भूमि प्रबंधन उपाय हैं, जो निम्नानुसार है :-

- नेनो वाटरशेड विकास अवधारणा के तहत मिट्टी और जल संरक्षण तकनीक –कंटूर ट्रेन्च और बंड, गेबियन संरचना, सेंड बेग संरचना, दोहा पेटर्न चेनल, परकोलेशन टैंक, सॉसर, ढीले बोल्ड संरचना आदि।
- सिंचाई प्रबंधन तकनीक
- वाटरशेड तकनीक
- भूजल पुर्नभरण के लिये आगर होल इनोवेशन
- वानिकी प्रबंधन
- पारम्परिक वृक्षारोपण और वाल्मी वन- वृक्षारोपण (1 वर्ष में घने जंगल की गारंटी)
- कृषि वानिकी और वन विकास
- जैविक संसाधनों के माध्यम से पौधों की सुरक्षा
- कंद, हल्दी, खस पड़ों की छाया में वृक्षारोपण
- छत के पानी का संचयन और जैविक
- जैविक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि।
- ग्रीन वॉल
- कबाड़ से कलाकाश मंच

वाल्मी ने जापानी मियावाकी तकनीक पर आधारित अपने स्वयं के वाल्मी वन अवधारणा विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सघन वन निर्माण की गारंटी देता है। वाल्मी वन वृक्षारोपण परिसर और म.प्र. के विभिन्न अन्य स्थानों पर लागू किया गया है। संस्थान के परिसर में 35 हजार से अधिक पौधे लगाये गये हैं, जो अब घने जंगल में विकसित हो गये हैं। संस्थान ने “वन्या तकनीक” का उपयोग करते हुये 100 एकड़ में सुबबूल, नीम, आंवला के लगभग 50 हजार पौधे भी लगाये हैं। परिसर में एक जैविक सीमा दीवार (ग्रीन वाल) और “जैव विविधता का वास” विकसित किया गया है। संस्थान के पास वन-अंगूर, वन-तुलसी आदि प्रजातियों का एक समृद्ध जीन बैंक है। साथ ही पौधों की लगभग 175 प्रजातियां और जीव जन्तुओं की लगभग 151 प्रजातियां हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के सेन्ट्रल इंडिया हाइड्रोलॉजी रीजनल सेंटर द्वारा 2020 में वाल्मी परिसर में विभिन्न मृदा और जल संरक्षण उपायों और वर्षा जल संरक्षण पर एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार महत्वपूर्ण प्रभाव पाये गये हैं, जो निम्नानुसार है :-

- भूजल पुर्नभरण में वृद्धि
- मिट्टी के नुकसान में कमी
- परिसर में और आसपास की आवासीय कॉलोनिजों में भूजल तालिका में वृद्धि

- जैव विविधता में सुधार
- वन आवरण और वन घनत्व में सुधार।

संस्थान के इन उपायों से वनस्पति के प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण, प्राकृतिक मिट्टी कार्बन सिंक स्तर एवं मृदा कार्बनिक कार्बन स्तर में वृद्धि हुई। वनस्पति आवरण में वृद्धि के साथ क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता, घांस के मैदानों ने वाल्मी परिसर को ऑक्सीजन पार्क में बदल दिया है, जिसे अब भोपाल के ग्रीन लंग्स के रूप में पहचाना जा रहा है। वाल्मी परिसर और आसपास का इलाका जंगल जानवरों के लिए गलियारा बन गया है। ये वन्य जीवन आश्रय के लिए अनुकूल वातावरण का संकेत है। प्राकृतिक संसाधनों जैव विविधता और परिस्थितिकीय में सुधार और प्रबंधन के लिये वाल्मी का समग्र दृष्टिकोण जलवायु लचीलेपन के साथ हरित शहरों के विकास के लिये तथा प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को बहाल करने में एक बड़ा कदम है। विभिन्न शासकीय विभागों एवं योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्थान द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, प्रशिक्षण संस्थान की एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय गतिविधि है।

(अ) शासी निकाय (Governing Body)

- | | |
|--|--------------|
| • मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — सदस्य |
| • कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन विभाग | — सदस्य |
| • संचालक, वाल्मी | — सदस्य सचिव |

(ब) कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) :

- | | |
|--|--------------|
| • अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — अध्यक्ष |
| • प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| • सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |
| • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीआरआरडीए | — सदस्य |
| • संचालक, रा.गा. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन/मुख्य कार्यपालन अधिकारी—एस.एल.एन.ए.—एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम | — सदस्य |
| • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन | — सदस्य |
| • परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें जलसंसाधन विभाग | — सदस्य |
| • प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा | — सदस्य |
| • आयुक्त, सैन्य क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| • संचालक, उद्यानिकी | — सदस्य |
| • संचालक, मत्स्य पालन | — सदस्य |
| • संचालक, वाल्मी | — सदस्य सचिव |

उद्देश्य :-

- विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
- सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
- सिंचाई प्रबंधन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
- ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकेक्षण एवं मूल्यांकन।
- सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, शोध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और प्रभावों का अंकेक्षण तथा मूल्यांकन करना।

कार्यक्षेत्र :-

- प्रशिक्षण (Online एवं Offline)
- संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन (Online एवं Offline)
- सलाहकारिता सेवाएँ
- क्रियात्मक अनुसंधान एवं परियोजनाएं
- तकनीकी हस्तांतरण
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अंकेक्षण एवं मूल्यांकन
- भ्रमण कार्यक्रम
- शिविरों एवं मेलों का आयोजन
- साहित्य एवं पठन सामग्री विकसित करना
- ई-विस्तार
- "लैब टू लैंड" अवधारणा
- विशिष्ट विद्वानों एवं अतिथियों के व्याख्यान
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की तकनीकों का प्रक्षेत्र एवं परिसर में प्रदर्शन
- प्रकाशन — मैगजीन, वेबसाइट, फेसबुक, ट्वीटर, फिल्म्स, पोस्टर्स इत्यादि।

मानव संसाधन संरचना

स.क्र.	पदनाम	संख्या
1	संचालक	1
2	अपर संचालक / प्रशासकीय अधिकारी	1
3	उपायुक्त	1
4	लेखाधिकारी	1
5	अनुभाग अधिकारी	1
6	ग्रन्थपाल	1
7	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	2
8	सहायक वर्ग दो	6
9	सहायक वर्ग तीन	12
10	वरिष्ठ लेखा लिपिक	1
11	शीघ्रलेखक वर्ग दो	1
12	शीघ्रलेखक वर्ग तीन	1
13	केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर	1
14	सह-प्राध्यापक	5
15	सहायक यंत्री	1
16	सहायक मानचित्रकार	1
17	उपयंत्री	8
18	तकनीकी सहायक	4
19	कम्प्यूटर ऑपरेटर / प्रोग्राम असिस्टेंट	3
20	केटरिंग मैनेजर	1
21	प्रेक्षक	1
22	ग्राफिक आर्टिस्ट	1
23	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1
24	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
25	कुक	2
26	समयपाल	2
27	वाहनचालक	6
28	दफतरी	1
29	भृत्य	17
30	वाटरमेन	1
31	इलेक्ट्रीकल वायरमेन	1
32	सफाईकर्मी	4
33	पम्प अटेंडेंट	1
	योग	93

**संस्थान में वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक
संस्थान में आयोजित कार्यक्रम**

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
1	WDC PMKSY 2.0 प्रारम्भिक उन्मुखीकरण	04-05 अप्रैल, 2022	2	139	278
2.	“रूरुर्न मिशन अन्तर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण” विषय पर कार्यशाला	06 अप्रैल, 2022	1	71	71
3.	WDC PMKSY 2.0 प्रारम्भिक उन्मुखीकरण	12-13 अप्रैल, 2022	2	98	196
4.	वित्तीय समावेशन	13 अप्रैल, 2022	1	50	50
5.	वित्तीय समावेशन	18 अप्रैल, 2022	1	47	47
6.	म.प्र. बाल देखरेख संस्थाओं के अधिकारियों की वैयक्तिक देखरेख योजना पर क्षमतावर्धन कार्यशाला	18-20 अप्रैल, 2022	3	18	54
7.	म.प्र. बाल देखरेख संस्थाओं के अधिकारियों की वैयक्तिक देखरेख योजना पर क्षमतावर्धन कार्यशाला	19-21 अप्रैल, 2022	3	29	87
8.	वित्तीय समावेशन	20 अप्रैल, 2022	1	44	44
9.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	21-23 अप्रैल, 2022	3	49	147
10.	WDC PMKSY 2.0 प्रारम्भिक उन्मुखीकरण	22-23 अप्रैल, 2022	2	67	134
11.	म.प्र. बाल देखरेख संस्थाओं के अधिकारियों की वैयक्तिक देखरेख योजना पर क्षमता वर्धन कार्यशाला	25-27 अप्रैल, 2022	3	34	102
12.	म.प्र. बाल देखरेख संस्थाओं के अधिकारियों की वैयक्तिक देखरेख योजना पर क्षमता वर्धन कार्यशाला	26-28 अप्रैल, 2022	3	22	66
13.	RGM WDC PMKSY 2.0 प्रारम्भिक उन्मुखीकरण तकनीकी विशेषज्ञ टीम सदस्य अभियात्रिकी कृषि भू-विज्ञान + वीडियोग्राफी	29-30 अप्रैल, 2022	2	51	102
14.	SRLM नारी शक्ति केंद्र	05-06 मई, 2022	2	40	80
15.	SRLM सामुदायिक	06 मई, 2022	1	45	45
16.	SRLM सामुदायिक	07 मई, 2022	1	41	41
17.	SRLM नारी शक्ति केंद्र	10-11 मई, 2022	2	32	64
18.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	12-14 मई, 2022	3	49	147

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
19.	SRLM जेण्डर	12-14 मई, 2022	3	33	99
20.	CLF प्रतिनिधियों का आजीविका मिशन के संदर्भ में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	13 मई, 2022	1	45	45
21.	CLF प्रतिनिधियों का आजीविका मिशन के संदर्भ में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	14 मई, 2022	1	40	40
22.	SRLM नारी शक्ति केंद्र	17-18 मई, 2022	2	37	74
23.	पंचायती राज संचालनालय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला	19-20 मई, 2022	2	68	136
24.	राष्ट्रीय महिला बैठक (सरकार भारती बैठक)	21 मई, 2022	1	41	41
25.	सरकार भारती प्रदेश संगठन	22 मई, 2022	1	16	16
26.	SRLM सुशासन प्रणाली	23-25 मई, 2022	3	34	102
27.	SRLM (RTI)	25 मई, 2022	1	49	49
28.	SRLM (TOT) MBK	25-31 मई, 2022	7	26	182
29.	SRLM (TOT) MBK	25-31 मई, 2022	7	28	196
30.	CLFसुशासन प्रणाली (SLCT)	26-28 मई, 2022	3	42	126
31.	SRLMसामुदायिक	27 मई, 2022	1	42	42
32.	SRLMसामुदायिक	28 मई, 2022	1	40	40
33.	आनंद क्लब कार्यशाला	30 मई, 2022	1	66	66
34.	Internship - Soil and Water conservation engineering	10 जून से 10 जुलाई, 2022	30	5	150
35.	जंगल वॉक सीजन भुवन्स भारती	14-15 जुलाई, 2022	2	250	250
36.	राज्य आनन्द संस्थान रिफ्रेशर प्रशिक्षण आनन्द सहयोगी	19-21 जुलाई, 2022	3	50	150
37.	सी.एम.टी.सी.	20-22 जुलाई, 2022	3	65	195
38.	BTC-FL PG BUSINESS TOOL	23-24 जुलाई, 2022	2	86	172
39.	VO बुक कीपिंग TOT" प्रशिक्षण कार्यक्रम	25-31 जुलाई, 2022	7	26	182
40.	VO बुक कीपिंग TOT" प्रशिक्षण कार्यक्रम	25-31 जुलाई, 2022	7	26	182
41.	जेण्डर प्रशिक्षण – MCRP तथा CRP	25-26 जुलाई, 2022	2	31	62
42.	M-CLF लेखापाल कार्य एवं भूमिका / प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-30 जुलाई, 2022	5	33	165

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
43.	“एन.आर.एल.एम. के उप सी.एल.एफ. की सी.आर.पी.”	27–28 जुलाई, 2022	2	47	94
44.	“एन.आर.एल.एम. जिलों के मिशन स्टाफ वायपीडीएम एवं एडीएम	01–03 अगस्त, 2022	3	61	183
45.	CLF लेखापाल TOT" प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच)	01–07 अगस्त, 2022	7	27	189
46.	CLF लेखापाल TOT" प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच)	01–07 अगस्त, 2022	7	28	196
47.	Catalyst of Social Science Action (CSA)	03–06 अगस्त, 2022	4	23	92
48.	SOS- Zendor Mother's Workshop	08–12 अगस्त, 2022	5	44	220
49.	ग्रामीण आजीविका मिशन सीएलएफ	22–28 अगस्त, 2022	7	25	175
50.	ग्रामीण आजीविका मिशन सीएलएफ	22–28 अगस्त, 2022	7	27	189
51.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	23–25 अगस्त, 2022	3	38	114
52.	WDC PMKSY 2.0 प्रारम्भिक उन्मुखीकरण	26–27 अगस्त, 2022	2	44	88
53.	एसआरएलएम आन्तरिक अंकेक्षण प्रथम बैच	05–14 सितम्बर, 2022	10	26	260
54.	एसआरएलएम आन्तरिक अंकेक्षण प्रथम बैच	05–14 सितम्बर, 2022	10	27	270
55.	पंचायती राज कार्यशाला	06 सितम्बर, 2022	1	110	110
56.	तालाबों एवं चेक डेम की आयोजना तथा निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर रीफ्रेशर प्रशिक्षण	09–10 सितम्बर, 2022	2	60	120
57.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–14 सितम्बर, 2022	3	67	201
58.	एसओएस	12–15 सितम्बर, 2022	4	25	100
59.	एसआरएलएम व्यावसायिक सब्जी उत्पादन	15 सितम्बर, 2022	1	52	52
60.	पंचायती राज संचालनालय पुरस्कार वितरण समारोह	15–16 सितम्बर, 2022	2	62	124
61.	मध्याह्न भोजन पोषण आहार निर्माण	15 सितम्बर, 2022	1	52	52
62.	तालाबों एवं चेक डेम की आयोजना तथा निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर रीफ्रेशर प्रशिक्षण	16–17 सितम्बर, 2022	2	38	76
63.	सामुदायिक क्षमता	23–24 सितम्बर, 2022	2	33	66
64.	सामुदायिक क्षमता	25–26 सितम्बर, 2022	2	31	62
65.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	28–30 सितम्बर, 2022	3	51	153

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
66.	एसआरएलएम क्षमता एवं संवर्धन	01 अक्टूबर, 2022	1	48	48
67.	एसआरएलएम क्षमता एवं संवर्धन	03 अक्टूबर, 2022	1	42	42
68.	एसआरएलएम	10-12 अक्टूबर, 2022	3	49	147
69.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों का उन्नयन	11-13 अक्टूबर, 2022	3	54	162
70.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-15 अक्टूबर, 2022	2	55	110
71.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत सामुदायिक संगठनों पर उन्नयन विषयक	17-19 अक्टूबर, 2022	3	53	159
72.	CBO उपसमिति नये मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यक्रम	17-19 अक्टूबर, 2022	3	31	93
73.	सीबीओ उपसमिति नये मॉड्यूल	27-29 अक्टूबर, 2022	3	36	108
74.	फलदार वृक्षारोपण	31 अक्टूबर, 2022	1	53	53
75.	फलदार वृक्षारोपण	01 नवम्बर, 2022	1	55	55
76.	मॉडल सी.एल.एफ. विजनिंग टी.ओ.टी.	01-05 नवम्बर, 2022	5	45	225
77.	जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण	02 नवम्बर, 2022	1	59	59
78.	अभिसरण	02 नवम्बर, 2022	1	40	40
79.	पोषण स्टाफ	03-04 नवम्बर, 2022	2	40	80
80.	विभागीय अभिसरण	04 नवम्बर, 2022	1	27	27
81.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों का उन्नयन	07-09 नवम्बर, 2022	3	56	168
82.	दिव्यांग जन पायलेट प्रोजेक्ट	10-11 नवम्बर, 2022	2	51	102
83.	जैविक क्लस्टर विकास प्रबंधन	10-11 नवम्बर, 2022	2	30	60
84.	आंतरिक अंकेक्षक	14-18 नवम्बर, 2022	5	32	160
85.	आंतरिक अंकेक्षक – रिफ्रेशर एण्ड डिप्लयमेंट	16-18 नवम्बर, 2022	3	40	120
86.	विभागीय अभिसरण	19 नवम्बर, 2022	1	32	32
87.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	21-23 नवम्बर, 2022	3	51	153
88.	आंतरिक अंकेक्षक	21-30 नवम्बर, 2022	10	23	230
89.	नारी अधिकार केन्द्र रिफ्रेशर	01-02 दिसम्बर, 2022	2	34	68
90.	विभागीय अभिसरण	02 दिसम्बर, 2022	1	47	47
91.	विभागीय अभिसरण	03 दिसम्बर, 2022	1	42	42

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
92.	विभागीय अभिसरण	04 दिसम्बर, 2022	1	51	51
93.	एफपीओ रिकार्ड कीपिंग एण्ड लीगल कम्प्लेयेन्स	05 दिसम्बर, 2022	1	23	23
94.	जैविक क्लस्टर विकास प्रबंधन	05-06 दिसम्बर, 2022	2	50	100
95.	एफपीओ रिकार्ड कीपिंग एण्ड लीगल कम्प्लेयेन्स	06 दिसम्बर, 2022	1	28	28
96.	एफपीओ रिकार्ड कीपिंग एण्ड लीगल कम्प्लेयेन्स	07 दिसम्बर, 2022	1	31	31
97.	आनन्दम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	07-09 दिसम्बर, 2022	3	47	141
98.	नारी अधिकार केन्द्र	08-09 दिसम्बर, 2022	2	30	60
99.	कार्य मूल्यांकन एवं कार्ययोजना	15 दिसम्बर, 2022	1	52	52
100.	कार्य मूल्यांकन एवं कार्ययोजना	16 दिसम्बर, 2022	1	40	40
101.	नारी अधिकार केन्द्र	19-20 दिसम्बर, 2022	2	31	62
102.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	19-21 दिसम्बर, 2022	3	27	81
103.	व्यावसायिक सब्जी उत्पादन	28 दिसम्बर, 2022	1	65	65
104.	सी.एल.एफ. उपसमिति (आजीविका)	30 दिसम्बर, 2022	1	62	62
105.	इन्टर्नशिप प्रोग्राम – एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर	01 दिसम्बर, 2022 से 15 फरवरी, 2023	75	15	1125
106.	इन्टर्नशिप प्रोग्राम – सरोजिनी नायडू	26 दिसम्बर, 2022 से 02 जनवरी, 2023	7	59	413
107.	नर्सरी प्रबंधन	11 जनवरी, 2023	1	55	55
108.	वेल्यूचेन एण्ड मार्केट लिंकेज	12 जनवरी, 2023	1	53	53
109.	वेल्यूचेन एण्ड मार्केट लिंकेज	13 जनवरी, 2023	1	43	43
110.	उद्यम वित्तपोषण	18-20 जनवरी, 2023	3	48	144
111.	“वर्ल्ड अर्थ डे” पर कार्यशाला – टूगेदर बी मास्ट इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट	22.04.2022	01	80	80
112.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच-1)	04.05.2022 से 11.05. 2022	08	51	408
113.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच-2)	04.05.2022 से 11.05. 2022	08	51	408
114.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.05.2022 से 24.05. 2022	08	99	792

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
115.	कार्यालयीन प्रक्रियायें, टिप्पणी लेखन, प्रारूप तैयार करना प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.05.2022 से 26.05. 2022	02	25	50
116.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	01.06.2022 से 08.06. 2022	08	100	800
117.	स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों हेतु दक्षता प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.06.2022 से 10.06. 2022	05	18	90
118.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.06.2022 से 30.06. 2022	08	99	792
119.	स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों का डे-केयर कैंसर कीमोथैरेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.07.2022 से 08.07. 2022	06	51	306
120.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	04.07.2022 से 06.07. 2022	03	31	93
121.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	07.07.2022 से 09.07. 2022	03	36	108
122.	ओरियेंटल कॉलेज के इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग के छात्र/छात्राओं का "वाल्मी का एनर्जी ऑडिट" इंटर्नशिप कार्यक्रम	07.07.2022 से 21.07. 2022 (दो सप्ताह)	14	10	140
123.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.07.2022 से 18.07. 2022	08	100	800
124.	अटल भू-जल योजनांतर्गत मास्टर ट्रेनर्स हेतु कार्यशाला कम रिफ्रेशर कोर्स	25.07.2022 से 26.07. 2022	02	183	366
125.	एकलव्य फाउण्डेशन रिट्रीट फॉर विजन बिल्डिंग	05.08.2022 से 07.08. 2022	03	21	63
126.	जल बजट एवं ग्रामीण कार्ययोजना तैयार करना प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.08.2022 से 24.08. 2022	02	13	26

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
127.	नलजल प्रदाय योजनाओं के संचालन/संधारण हेतु पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के साथ समन्वय प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.08.2022 से 26.08. 2022	02	18	36
128.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सी.एच.ओ. का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.08.2022 से 03.09. 2022	06	99	594
129.	रायसेन जिले के आत्मा परियोजना में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम (वाटर मेनेजमेंट)	31.08.2022	01	22	22
130.	औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, संवर्धन एवं गृह वाटिका तैयार करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम	02.09.2022 से 04.09. 2022	03	31	93
131.	नलजल प्रदाय योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	12.09.2022 से 13.09. 2022	02	08	16
132.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चार्डल्ड हैल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	19.09.2022 से 21.09. 2022	03	30	90
133.	अटल भूजल योजना के अंतर्गत फ्रंट लाइन वॉलेंटियर हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला	19.09.2022	01	111	111
134.	अटल भूजल योजना के अंतर्गत फ्रंट लाइन वॉलेंटियर हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला	20.09.2022	01	95	95
135.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चार्डल्ड हैल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.09.2022 से 24.09. 2022	03	34	102
136.	अटल भूजल योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स (स्रोत व्यक्तियों) का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.09.2022	01	91	91
137.	भूजल स्रोत स्थल चयन, नलकूप डिजाइन एवं स्रोत स्थायित्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (परिवहन व्यय)	26.09.22 से 27.09.22	02	34	68

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
138.	OIST कालेज के सिविल इंजीनियरिंग छात्रों का वाल्मी भ्रमण (वाटर मेनेजमेंट)	28.09.2022	01	44	44
139.	विभागीय कार्यों का एकीकृत प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में अद्यतनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.09.22 से 30.09.22	02	18	36
140.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सीएचओ का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.10.2022 से 08.10. 2022	06	98	588
141.	प्लानिंग, डिजायनिंग एंड आपरेशन आफ स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन डिजायन आफ लार्ज पंपिंग स्टेशंस	10.10.2022 से 14.10. 2022	05	29	145
142.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चाइल्ड हैल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.10.2022 से 19.10. 2022	03	26	78
143.	स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.ओ. का "न्यू बॉर्न एण्ड चाइल्ड हैल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.10.2022 से 22.10. 2022	03	28	84
144.	जल की गुणवत्ता का परीक्षण एवं शोधन	01.11.22 से 02.11.22	02	18	36
145.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियों (आईएसए) का प्रशिक्षण कार्यक्रम	02.11.22	01	54	54
146.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियों (आईएसए) का प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.11.22 से 05.11.22	03	46	138
147.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी एवं उनके उपयोग तथा प्रभावशीलता का आंकलन	09.11.22 से 10.11.22	02	08	16
148.	"न्यू बॉर्न एण्ड चाइल्ड हैल्थ सर्विसेज" प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.11.2022 से 18.11. 2022	03	58	174
149.	जीवाणुनाशन की विभिन्न तकनीकें एवं प्रभावशीलता	21.11.22 से 22.11.22	02	20	40

स. क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानवदिवस
150.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नवनियुक्त सीएचओ का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.11.2022 से 30.11. 2022	06	95	570
151.	सेल्फ कोर्स- "ग्रेवाटर प्रबंधन एवं इसका हमारे जीवन पर प्रभाव" प्रशिक्षण कार्यक्रम	01.12.2022 से 03.12. 2022	03	15	45
152.	जल की गुणवत्ता का परीक्षण एवं शोधन	05.12.2022 से 06.12. 2022	02	14	28
153.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	05.12.2022 से 06.12. 2022	02	24	48
154.	आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल के कृषि अभियांत्रिकी संकाय के विद्यार्थियों का भ्रमण कार्यक्रम	05.12.2022	01	10	10
155.	युवा संवाद कार्यक्रम	12.12.22 से 13.12.2022	02	200	400
156.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नवनियुक्त विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएसए)	13.12.2022 से 14.12. 2022	02	49	98
157.	जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम	16.12.22 से 22.12.22	07	250	1750
158.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नवनियुक्त विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबी एंड टी एंड आईईसी)	16.12.2022 से 17.12. 2022	02	41	82
159.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नवनियुक्त विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएम टेक्नीकल)	18.12.2022 से 19.12. 2022	02	45	90
160.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नवनियुक्त विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएम मॉनिटरिंग)	20.12.2022 से 21.12. 2022	02	48	96
161.	नल जल योजनाओं के संचालन/संधारण में स्वचलित तकनीकों का उपयोग	09.01.2023 से 10.01. 2023	02	16	32
		कुल	574	7833	24244

नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस
अधोसंरचना का विस्तार

पूर्व में :

छात्रावास/व्याख्यान कक्ष का उपयोग : 31 से 51 दिवस प्रतिवर्ष



नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस अधोसंरचना का विस्तार वर्तमान में :

छात्रावास/व्याख्यान कक्ष का उपयोग : 210 से 230 दिवस प्रतिवर्ष



नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस तनाव रहित प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम

- टीम बांडिंग एवं नेतृत्व विकास के लिये समूह आधारित
- कार्य आनंदम के लिये फील्ड विजिट
- सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक भोज
- प्रयोग एवं केस स्टडी का समावेश
- विशेषज्ञों एवं विशिष्ट अतिथियों से संवाद



कार्यक्रम – 1984 से 1998 – 500 प्रतिभागी – 1500
कार्यक्रम – 1998 से 2017 – 1330 प्रतिभागी – 40050
कार्यक्रम – 2018 से 2022 – 6000 प्रतिभागी – 99000

प्रतिभागी दिवस – 4500
प्रतिभागी दिवस – 120000
प्रतिभागी दिवस – 210000

नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस विशेषज्ञों का एंपेनलमेंट एवं ज्ञान संग आय अर्जन इंटरनशिप

- विषय ज्ञान के साथ ही संस्थान के क्रियाकलापों में संलग्न कर आजीविका के अवसर
- युवाओं एवं सामान्यजनों हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन इंटरनशिप कार्यक्रम
- पात्र इंटरन्स-720 का एंपेनलमेंट कर रोजगार उपलब्ध कराया गया
- जल भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की तकनीकों का प्रशिक्षण, शोध, मूल्यांकन, परियोजना क्रियान्वयन
- इत्यादि गतिविधियों पर इंटरनशिप – 8740
- इंटरन्स को औसत रुपये 5 हजार से रुपये 2.70 लाख तक की प्राप्ति



विशेष :

संस्थान द्वारा उच्च कोटि के विशेषज्ञों व उर्जावान युवाओं की सेवाएं सीमित व्यय पर प्राप्त कर रुपये 185 लाख की बचत

नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस वन विकास

नवीन वन का निर्माण

- नवीन पेड़ों की संख्या – 89000
- नवीन प्रजातियों की संख्या – 57

पुराने वन का संरक्षण

- पेड़ों की संख्या – 1.50 लाख
- प्रजातियों की संख्या – 170



- प्रतिवर्ष 16250 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन
- 2.50 लाख आबादी की वर्ष भर की आवश्यकता के लिए पर्याप्त
- 3000 टन कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित



नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस आजीविकामूलक नैनो वाटर शेड

- प्राकृतिक संसाधन विकास की अवधारणा का सूक्ष्म स्तर
- प्रत्येक कृषकों को लाभांवित करने का उद्देश्य
- विकास क्षेत्र कृषक की संपूर्ण भूमि
- संपूर्ण लाभ भूमि स्वामि को
- संस्थान परिसर में विभिन्न मृदा एवं जल संरचनाओं का निर्माण
- कंटूर ट्रेंच-450, गेबियन-2, सैंड बैग संरचना-1, दोहा पैटर्न चेनल-7 परकोलेशन टैंक-7, वनीकरण एवं आजीविका मूलक गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन



नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस वाल्मी फॉरेस्ट : 1 वर्ष में घने जंगल की गारंटी

- शीघ्र वन विकास की मूल जापानी पद्धति में स्थानीय दशाओं एवं संसाधनों के अनुकूल परिवर्तन एवं उन्नयन कर वाल्मी फॉरेस्ट पद्धति का विकास
- लागत मूल पद्धति से 5 गुना कम
- पौध बढ़वार 4 गुना तेज
- वाल्मी परिसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, रवीन्द्र भवन, स्मार्ट सिटी, सतना, खजुरी सड़क, जिला पंचायत भोपाल, बिल्डर्स एसोसिएशन, क्रेडाई, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि स्थानों पर स्थानीय प्रजातियों के 75000 वृक्षों के जंगल निर्माण का सफल क्रियान्वयन



नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस ग्रीन वॉल



- दीवार पर हरियाली का विकास
- मिट्टी का उपयोग नहीं
- शहरी क्षेत्रों में बेहतर पर्यावरण में योगदान
- किसी भी प्रकार के रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं
- देशी मनीप्लांट, सिंगोनियम, क्लोरोफाइल्स, रसुलिया, मिल्मी, कोलिस, हेंगिंग इत्यादि प्रजातियों का उपयोग
- लगभग 60 पौधे प्रति वर्ग मीटर

नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस कबाड़े का मुक्ताकाश



- 250 क्षमता का एक खुले रंगमंच का निर्माण
- 75 से 100 कलाकार एक साथ प्रस्तुति क्षमता
- गैर-पारंपरिक निर्माण तकनीक
- यथा संभव वेस्ट (अनुपयोगी) सामग्री का उपयोग
- निर्माण लागत – लगभग रुपये 9.00 लाख

नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस जैव विविधता : संरक्षण, संवर्धन एवं विकास

प्रमुख सकारात्मक कारक

- मिट्टी और पानी का संरक्षण
- सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण
- मानव का न्यूनतम हस्तक्षेप
- विकास प्रक्रिया का वैज्ञानिक निष्पादन क्रियान्वयन

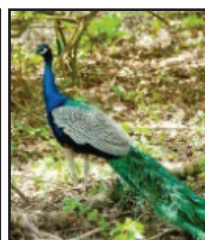
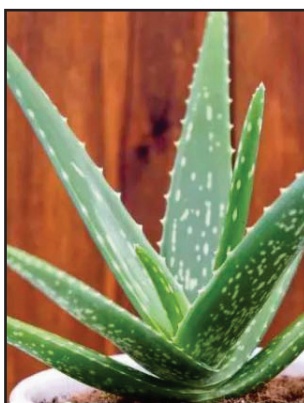
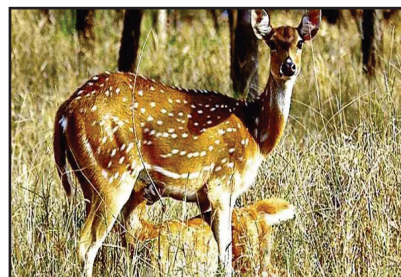
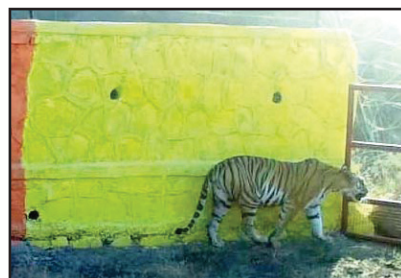
वनस्पति प्रजातियां – 173

- औषधी पौधे – 53
- दुर्लभ प्रजातियां – 8
- सुगंधित प्रजातियां – 5
- शेष मौसमी प्रजातियां – 107

जीव जंतु प्रजातियां – 151

- पक्षी – 71
- सरीसृप – 43
- उभयचर – 07
- स्तनधारी जीव – 13
- कीट पतंगे एवं तितलियां – 17

जैव विविधता विस्तार स्थल घोषणा की सहमति प्राप्त



नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस पर्यावरणमूलक कचरा निष्पादन



- छात्रावास एवं कॉलोनी के वेस्ट को स्थल चिन्हांकन कर गड्ढे बनवाये जाना, वेस्ट से भरवाना, भर जाने पर मिट्टी की परत से पैक कर 1 माह उपरान्त निर्मित खाद पर वृक्षारोपण करना।
- वनीकरण गतिविधियों से रीजनरेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, किन्तु लैंटाना की बहुतायत होने से रीजनरेशन प्रभावित। अतः लैंटाना को समूल हटाया जा कर समीपस्थ स्थान पर खंतियां निर्मित कर उनमें सैकड़ों टन लैंटाना से भरा जा कर पैक कर 1 माह उपरान्त निर्मित खाद पर वृक्षारोपण एवं रीजनरेशन से उगे नवप्रसफूटित वन का चिन्हांकन एवं टेगिंग कर थालों का निर्माण
- उपरोक्त पद्धति पड़त भूमि हेतु अति उपयोगी
- उपरोक्त के अतिरिक्त परिसर में अन्य प्रचलित पद्धतियों द्वारा भी कचरा निष्पादन

नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस मान्यताएं एवं पहचान



- समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय
- शासन की प्रमुख योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन एवं अटल भूजल योजना के प्रशिक्षण पार्टनर
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से समन्वय एवं संयुक्त अध्ययन
- एन.एच.ए.आई के साथ वृक्षारोपण में सहयोगी
- जल संसाधन विकास के अंतर्गत विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पार्टनर
- फसाई एवं आई.एस.ओ. प्रमाणिकाकरण
- भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की 331 वॉटर शेड परियोजनाओं का मूल्यांकन
- जल संसाधन विभाग की 11 कडवम परियोजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन
- वाटर सेक्टर हेतु निर्मित स्टेट स्पेसीफिक ऐक्शन प्लान का भारत सरकार द्वारा मान्य
- आयकर विभाग की धारा 80-जी एवं 12-ए में पंजीयन

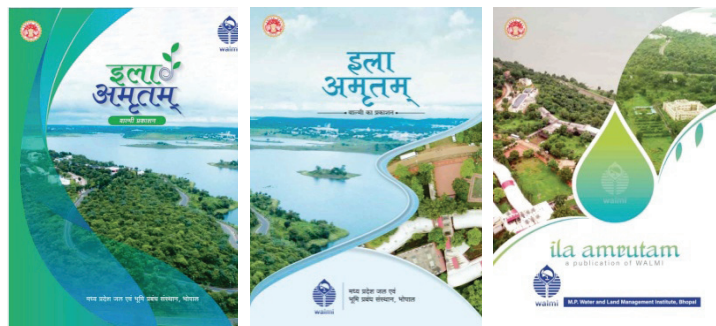
नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस

प्रकाशन एवं डॉक्यूमेंटेशन

- पुस्तिकाएँ : इला अमृतम (4 संस्करण)
- ब्रोशर : वाल्मी – नाम एक काम अनेक
- बुकलेट
- प्राकृतिका – मंत्रालय टेरेस गार्डन
- जैव विविधता – जल, जंगल, जमीन
- वनस्पति एवं अध्यात्म
- Establishing Standard Benchmark for State Level Training Instit

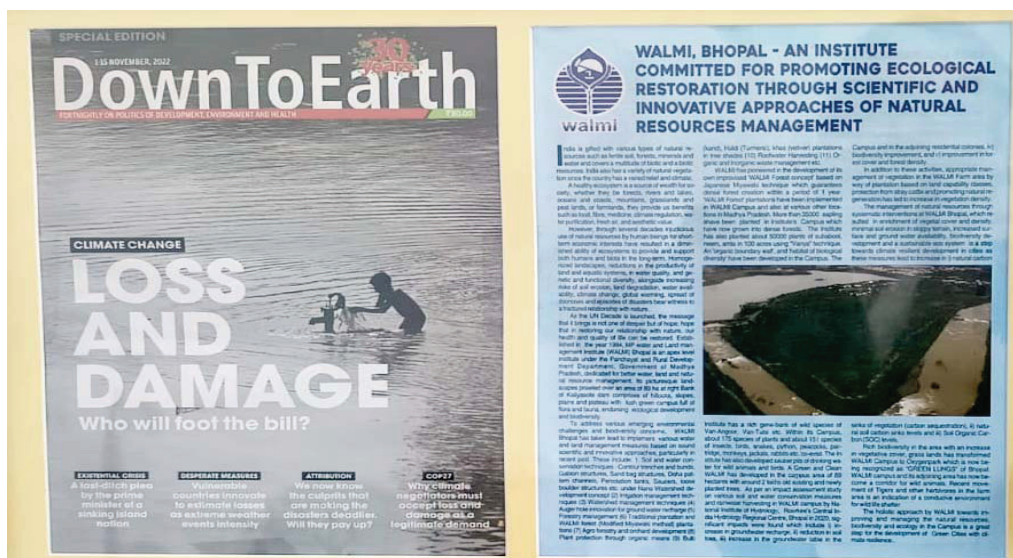
शोध पत्र

- Impact Assessment Study of Water Harvesting Structures and Soil Conservation Measures in Demonstration Farm of WALMI.
- Is Quality in Capacity Building and Training Institution Development Matters the most ? Setting Benchmarking Process and Benchmark Standards for Training Institutions- Published in International Journal of Advances in Agriculture Science and Technology.
- Water Availability in Urban Areas : Map for Small Interventions on Large Scale.



अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं द्वारा मान्यता व पहचान

1. Awarded ISO 14001 : 2015 on Environment Management System
2. Awarded ISO 9001-2015 on Quality Management System
3. Awarded Eat Right Campus by Food Safety and Standard Authority of India



नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस वाल्मी सुशासन मॉडल



कर्मचारी कल्याण

- समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमानुसार स्थाई कर्मों के रूप में विनियमित कर वेतनमान व वार्षिक वेतन वृद्धि
- स्थाई कर्मियों को योग्यता अनुसार अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी का दर्जा।
- समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवां वेतनमान।
- वेतन निर्धारण की जांच एवं समस्त वेतनमानों का कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन।
- यथा योग्य छठवें वेतनमान के एरियर्स, समयमान, वेतनमान इत्यादि स्वत्वों की स्वीकृति एवं भुगतान।

वित्तीय सुधार

- संस्थान की सुविधाओं को उपलब्ध कराना
- संस्थान का सी.एस.आर. एवं म.प्र. पंचायत दर्पण में पंजीकरण जिससे संस्थान सी.एस.आर राशि प्राप्त करने हेतु मान्य
- संस्थान को 12-ए के अंतर्गत पंजीकृत कराकर आयकर में छूट प्राप्त की गई

एम्प्लौमेंट

- वेबसाइट, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से 200-300 से अधिक स्रोत व्यक्तियों का उच्च स्तरीय समिति द्वारा एम्प्लौमेंट
- अधोसंरचना का पूर्ण उपयोग
- अधोसंरचना का विस्तार एवं सुदृढीकरण
- मानव संसाधनों की क्षमताओं का समुचित उपयोग
- संसाधनों के इष्टतम उपयोग से आय बढ़ाने के उपयोग
- विशेषज्ञों संस्थाओं के साथ लिंकेजेस का विस्तार
- बेहतर डॉक्युमेंटेशन
- गतिविधियों का बेहतर प्रचार-प्रसार

नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस मानव संसाधन विकास

- अकादमिक
 - गत वर्ष 2897 कार्यक्रमों द्वारा 82500 प्रतिभागी लाभान्वित
 - गत वर्ष 94000 प्रतिभागी मानवदिवस का सृजन
- पर्यावरण एवं संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों द्वारा 4600 प्रतिभागी लाभान्वित



- जनमानस के लिए इंटरनशिप कार्यक्रम
- 300 स्त्रोत व्यक्तियों के एम्पेनलमेंट द्वारा विशेषज्ञ संसाधनों का विस्तार
- शासन की प्रमुख योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन एवं अटल भूजल योजना में विभाग के प्रशिक्षण पार्टनर
- तनाव रहित प्रशिक्षण

नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस अधोसंरचना का पूर्ण उपयोग

पूर्व में : छात्रावास/व्याख्यान कक्ष का उपयोग : 31 से 51 दिवस प्रतिवर्ष
वर्तमान में : छात्रावास/व्याख्यान कक्ष का उपयोग : 210 से 230 दिवस प्रतिवर्ष





महिला स्व-सहायता समूह की दीदियों से ऋण वितरण कार्यक्रम में चर्चा करते हुए
माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया



विकास आयुक्त कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में चर्चा करते हुए
श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन